जिला मॉनीटरिंग कमेटी, भीलवाड़ा (राजस्थान)

— : : मीटिंग कार्यवाही विवरण : : —

आज दिनांक **06.07.2023** को जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में समय 03.00 पी.एम. जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अधोलिखित संभागी उपस्थित हुए :—

1— **श्री अजय शर्मा**
अध्यक्ष
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

2— **श्री आशीष मोदी**
सदस्य
जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

3— **श्री आदर्श सिधु**
सदस्य
जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा

4— **सुषमा शर्मा**
सदस्य सचिव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

मीटिंग के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत विचार—विमर्श कर निर्णय लिये गये —

1— न्यायालय की ओर से जारी किये जाने वाले सम्मन/वारंट की तामील के संबंध में आने वाली समस्यायें व उनके निराकरण के संबंध में सुझाव :—

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण से प्राप्त सूचनाओं और सुझावों के अनुसार अधिकांश न्यायिक अधिकारीगण ने प्रकरणों के लम्बित होने के मुख्य कारणो में तामील एजेन्सी (पुलिस विभाग) की ओर से साक्षीगण एवं अभियुक्तगण की तामील नही करवाया जाना बताया गया है तथा तामील विधि के प्रावधान के अनुसार नही कराये जाने, तामील अदम तामील भेजने व कई बार न्यायालय द्वारा जारी तामील बाद/अदम पुनः संबंधित न्यायालय को नहीं भेजना बताया गया है। मफरूर अभियुक्तगण के संबंध में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, जो भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी किए गये है, उनकी भी त्वरित व प्रभावी तामील नही होना बताया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को मीटिंग के दौरान सम्मन/वारंट की तामील में आ रही उक्त समस्याओं से अवगत कराते हुये इस संबंध में समुचित व प्रभावी कार्यवाही कर संबंधित को दिशा निर्देश जारी करने हेतु अवगत कराया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भी न्यायालय की ओर से जारी सम्मन/वारंट की तामील बाबत आने वाली समस्याओं व उनके निराकरण के संबंध में अपनी रिपोर्ट/सुझाव में यह अंकन किया है कि अन्य जिलो/राज्यो की तामीले सीधे ही सक्षम अधिकारी को प्रेषित की जाये, तामील शत प्रतिशत करवाने हेतु उन पर गवाह/मुल्जिम का पूर्ण नाम व पता अंकित किया जाये, तामीलों पर अपराध धारा का अंकन किया जावे ताकि अपराध की गंभीरता के आधार पर पुलिस अधीकारी/कर्मचारियों को साक्ष्य पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति ली जाने में दिक्कत ना आवे, जिला मुख्यालय पर आने वाले कोर्ट मुंशी को उसके थाना क्षेत्र की स्थानीय तामीले देने पर तामील तारीख पेशी से पूर्व होकर उससे समय व श्रम की बचत होगी, एवं तामील की तारीख पेशी नजदीक नहीं दी जाये। साथ ही यह भी निवेदन किया

गया कि न्यायालय से प्राप्त तामील की अदम तामील की सूरत में न्यायालय कर्मचारियों के द्वारा प्राप्ति रसीद दिलाई जाये।

इस संबंध में सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वे तामील पर गवाह/अभियुक्त का पूर्ण नाम, पता आदि विवरण अंकित करने के साथ ही प्रकरण से संबंधित धाराओं का अंकन करने, आवक–जावक रजिस्टर में जारीशुदा तामील का अंकन करने, तामील देने से पूर्व संबंधित पुलिसकर्मी की प्राप्ति रसीद लेने एवं रसीद बाबत पुलिसकर्मी द्वारा लघु हस्ताक्षर करने पर उसका नाम, पदनाम आदि का विवरण अंकित करने हेतु इस न्यायक्षेत्र के समस्त पीठासीन अधिकारीगण को जरिये पत्र निर्देशित किया जाये।

2– न्यायालय से कितने स्थाई गिरफ्तारी अधिपत्र जारी हुये हैं और कितने मामले में स्थाई गिरफ्तारी अधिपत्र में क्रमांक संबंधित पुलिस थानों से प्राप्त नहीं हुये हैं :–

जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांकित 12.12.2022 मय संलग्न सूची के अनुसार भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र से संबंधित कुल **6159** स्थाई गिरफ्तारी वारंट लम्बित होना बताया गया है। जबकि इस न्यायक्षेत्र के न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार भीलवाडा न्यायक्षेत्र में कुल **8465** स्थाई गिरफ्तारी वारंट की तामील लम्बित होना शेष बताया गया है, जिनकी सूची इस मीटिंग कार्यवाही विवरण के साथ **परिशिष्ठ 01** के रूप में सलंग्न है । इस प्रकार स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट वाले अभियुक्तगण के संबंध में न्यायालयों से प्राप्त सूचना व जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना में विसंगति/असमानता है। अतः लंबित स्थायी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में समस्त न्यायालयो से प्राप्त सूचनाओं की सूची **परिशिष्ठ 01** जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को उक्तानुसार लंबित स्थाई गिरफ्तारी वारंट की विसंगति/असमानता को दूर करने एवं उनका शीघ्र निस्तारण करने हेतु दी जावे।

3– आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय अभियुक्त/साक्षीगण के मोबाईल नम्बर/ई–मेल पता/स्थायी टेलीफोन नम्बर/वाट्सएप नम्बर/सम्पूर्ण स्थाई व अस्थाई पता अंकित किया जाना है अथवा नहीं :–

मीटिंग के दौरान प्रकरणों के सम्मन/वारण्ट/नोटिस की तामील मोबाईल/ई–मेल व अन्य टेक्नोलॉजी के द्वारा भी प्राथमिकता के तौर पर भी करवाए जाने पर बल दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने इस प्रकार के प्रकरणो की प्रभावी तौर पर तामील कराए जाने का आश्वासन भी कमेटी को दिया। पुलिस अधीक्षक ने यह आश्वासन दिया कि आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय अभियुक्तगण/साक्षीगण के मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी., फिक्स टेलीफोन नम्बर, वाट्स–अप नम्बर व सम्पूर्ण पता आरोप पत्र में अंकित कराये जाने हेतु संबंधित समस्त थानाधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं । साक्षीगण का स्थाई पता भी आरोप पत्र में अंकित करवाया जावेगा।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1997 (2), आर सी डी पेज 377 जेसराम बनाम राजस्थान राज्य में अभिनिर्धारित सिद्धान्त के अनुरूप सूची साक्षीगण में अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले का नाम भी दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा थानाधिकारियों को आदेश प्रसारित करे और इस सम्बन्ध में कमेटी के सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाड़ा को भी यह निर्देशित किया गया कि वे भीलवाड़ा स्थित न्यायालयों विशेषकर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों को इस सम्बन्ध में पत्र जारी करे कि अभियोजन स्वीकृति जारीकर्ता का नाम सूची साक्षीगण में होने की सुनिश्चितता स्पष्ट करें और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में विशेषकर 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिशा निर्देश दिए है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का ध्यान **महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर**

के परिपत्र क्रमांक सी.आई.डी./सी.बी./पी आर सी/परिपत्र/2019/3435–3512 दिनांक 11.02.2019 की ओर आकर्षित करते हुये उन्हें इस संबंध में सम्बन्धित थानाधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

4– आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत जिला कलेक्टर द्वारा या अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी होती है या नही ऐसे प्रकरणों की सूची जिनमें अभियोजन स्वीकृति परिसीमा अवधी में प्रेषित नही की गई :–

पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 8 प्रकरण दर्शाये है। भीलवाडा न्यायक्षेत्र के न्यायाधिकारियों ने भी इस बिन्दु से संबंधित सूचना शून्य होना बताया है।

5– पांच वर्ष व उससे अधिक पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में तामील करवाये जाने के सम्बन्ध में समस्या व सुझाव :–

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 वर्ष व उससे अधिक पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में तामील करवाये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट में यह अंकन किया है कि इन प्रकरणों की तामीलों में गवाह/मुल्जिम का पूर्ण नाम व पता नहीं होने से तामील कराने में समस्या आ रही है तथा राज्य कर्मचारी/पुलिस कर्मचारी के स्थानान्तरण होने से अन्य जिलों में तामील करवाने जाने में भी समस्या रहती है तथा यह सुझाव दिया है कि एक प्रकरण में समान प्रकृति के दो गवाह होने पर एक गवाह के बयान होने पर दूसरे गवाह को तर्क कर दिया जाये तो समय व श्रम के बचाव के साथ प्रकरण के निस्तारण में सहायक होगा।

प्रकरणों के सम्मन/वारण्ट/नोटिस पर अभियुक्त/गवाह का पूर्ण नाम व पता अंकित करते हुये तामील मोबाईल/ई–मेल व अन्य टेक्नोलॉजी के द्वारा भी प्राथमिकता के तौर पर भी करवाए जाने पर बल दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में विशेषकर 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिशानिर्देश दिए है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा का ध्यान **महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक सी.आई.डी./सी.बी./पी आर सी/परिपत्र/2019/3435–3512 दिनांक 11.02.2019** की ओर आकर्षित करते हुये उन्हें इस संबंध में सम्बन्धित थानाधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

6– दिनांक 31.03.2023 तक न्यायालय में लम्बित अन्तिम प्रतिवेदनों की संख्या तथा अन्तिम प्रतिवेदन के संबंध में समस्या व सुझाव :–

मीटिंग में लिये गये निर्णयों एवं अन्तिम प्रतिवेदन पर विचार विमर्श के दौरान पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की ओर से अपनी रिपोर्ट में यह अवगत कराया कि जिले में पेण्डिंग चालान **2075** व पेण्डिंग एफ.आर. **1706** है तथा सुझाव के रूप में यह अंकित किया है कि थानाधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय में चालान व एफ.आर. पेश किये जाने पर स्वीकार की जाये। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थानाधिकारियों को शीघ्र ही पत्र जारी कर निर्देश दिये जायें कि परिवादी के साथ ही न्यायालय में एफ.आर. पेश की जावे।

इस न्यायक्षेत्र से प्राप्त संकलित सूचना **(सलंग्न परिशिष्ठ 02)** के अनुसार वर्तमान में कुल **4976** एफ.आर. लंबित हैं, जिनमें त्वरित गति से कार्यवाही कर शीघ्र निस्तारण करने हेतु समस्त पीठासीन अधिकारियों को जरिये पत्र सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाडा द्वारा निर्देशित किया जाये। **(परिशिष्ठ 02)** की प्रति सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाडा को उपलब्ध कराई गई।

अनुसंधान उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन किए जाते समय जिस अधिकारी द्वारा नतीजा स्वीकृत किया जाता है, वो सामान्यतया अनुसंधानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर नतीजा पेश करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, जबकि यह प्रतीत हुआ है कि कई मामले में तो आवश्यक बिन्दुओं पर अनुसंधान भी नहीं किया जाता है, जिस कारण पत्रावली अग्रिम अनुसंधानार्थ प्रेषित किए जाने से प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरणों में पूर्ण अनुसंधानोपरांत ही नतीजा स्वीकृत कर पेश करने बाबत् निर्देशित किया जा सकता हें

न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पेश किए जाने के समय परिवादी को या तो सूचित ही नहीं किया जाता या पूर्व में ही उसके नोटिस पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, जबकि धारा 173(2)(ii) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अनुसंधान पूर्ण होने पर परिवादी को सूचित किया जाना अपेक्षित है, अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा इस संबंध में सम्यक् कार्यवाही कर व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सकती है।

7— न्यायालय में लंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट जिनमें नतीजे पेश नहीं हुये हैं :—

मीटिंग में पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा प्रेषित सूचना मय सलंग्न सूची के अनुसार कुल **3781** प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित प्रकरणों में नतीजे पेश नहीं होना बताया गया है। भीलवाडा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों से प्राप्त सूचना **(परिशिष्ठ 03)** अनुसार इस न्यायक्षेत्र में कुल **7830** प्रथम सूचना रिपोर्ट में नतीजा पेश नही हुआ है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सूचनाओं की सूची **(परिशिष्ठ 03)** पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को दी जावे। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा प्रेषित सूची व अन्य न्यायालयो द्वारा प्रेषित सूचनाओं में भी विसंगति/असमानतायें पाई गई है। इस संबंध में भीलवाडा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों से प्राप्त सूचनाओं की सूची **परिशिष्ठ 03** पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को आवश्यक कार्यवाही करने व उक्त विसंगति/असमानता दूर करने हेतु दी जाये।

उक्त सूचनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि काफी पुरानी कई प्रथम सूचना रिपोर्ट्स में भी नतीजा अभी तक प्रस्तुत नही हुआ है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भीलवाडा संबंधित थानाधिकारियों को शीघ्र ही पत्र जारी कर निर्देश देते हुये नतीजा शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही करे और समय—समय पर इसकी मोनिटरिंग की जावे कि कोई भी एफआईआर बिना नतीजा के अनावश्यक लम्बित न रहे।

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 2021 से पुरानी समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना संबंधित थानो से मंगाई जाकर उनमें शीघ्र नतीजा प्रस्तुत करने के बाबत् कार्यवाही करे।

8— पुलिसकर्मियों की तामील के सम्बन्ध में समस्या व सुझाव :—

न्यायिक अधिकारीगण से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिसकर्मी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होने पर उसकी तामील नही हो पाती है। अतः पुलिसकर्मियों के मोबाईल नम्बर व वाट्स अप नम्बर गवाह सूची में दर्ज करवाये जावे व पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण का रेकार्ड वेबसाईट पर नियमित रूप से अपडेट किया जावे।

9— धारा 173 (8) सी.आर.पी.सी. के संबंध में जिन मामलों में अनुसंधान लंबित है, उनका विवरण :—

कमेटी द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रायः थानाधिकारियों द्वारा कुछ अभियुक्तगण के खिलाफ चालान पेश किया जाता है तथा कुछ अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत लम्बित रख दिया जाता है तथा उपस्थित अभियुक्तगण के प्रकरण में कुछ साक्ष्य होने के पश्चात तितम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षित साक्षीगण को पुनः तलब करने पर न्यायालय का समय खराब होता है। साक्षीगण को

भी परेशानी होती है तथा राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है। पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा संपूर्ण आरोप पत्र एक साथ पेश करने व लम्बित धारा 173(8) सी.आर.पी. सी. के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने बाबत् प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करे। पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत सूचना मय सूची अनुसार ऐसे कुल **165** प्रकरण लम्बित होना दर्शाया गया है। जबकि भीलवाडा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों से प्राप्त सूचना अनुसार इस न्यायक्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे कुल **112** प्रकरणो में धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान लम्बित है, जिनके सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सूची **परिशिष्ठ 04** जिला पुलिस अधीक्षक को दी जावे।

न्यायिक अधिकारीगण ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया है कि अनुसंधान के विलम्ब से बचने के लिए अधिकांश अधिकारी तफ्तीश को धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत अपूर्ण रख देते है जिससे न्यायालय कार्यवाही में विघ्न उत्पन्न होता है, साथ ही थानाधिकारियों द्वारा चालान के साथ–साथ एफ.एस.एल की रिपोर्ट अथवा अभियोजन स्वीकृति के आदेश भी प्रस्तुत नही किये जाते है।

समाधान स्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही कर पूर्ण चालान प्रस्तुत करावे तथा संबंधित को अर्द्धशासकीय पत्र जारी कर एफ.एस.एल. रिपोर्ट समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करावे तथा **महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के परिपत्र (ज्ञापन) क्रमांक 3854–3929 दिनांक 13.02.2019** की पालना के तहत धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

10– पुलिस थानों में रखे गये माल के निस्तारण के संबंध में व न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश किये गये माल की प्राप्ति के संबंध में :–

मीटिंग के दौरान मालखाना निस्तारण के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान कोषागार नियम के नियम 122(2) के बारे में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से विस्तृत चर्चा की गई। मूल्यवान मालखाना संबंधित जिला कोषागार में जमा कराए जाने बाबत् नियमों के संबंध में चर्चा की गई जिस पर जिला कलेक्टर ने शीघ्र अद्यतन नियमों की जानकारी कर आगामी मीटिंग में समाधान प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि पुलिस थाने में रखे माल का न्यायालय में साक्ष्य के दौरान आर्टिकल होने पर निस्तारण आदेश जारी किये जाये।

इसके साथ ही न्यायिक अधिकारीगण ने यह भी अवगत कराया कि अंवीक्षा के दौरान गवाह आ जाते है लेकिन संबंधित थाने से माल प्रस्तुत नही किया जाता है, जिससे माल के अभाव में गवाहान के बयान कराया जाना संभव नही हो पाता है। इसके साथ ही प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट समय पर नही आ पाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुंदर भाई अम्बालाल देसाई प्रकरण स्पेशल लीव पीटीशन संख्या 2747/02 में पारित निर्णय दिनांक 02.10.2002 के तहत शीघ्र ही थानो में जब्त माल का निस्तारण कराया जावे व पालना रिपोर्ट प्रेषित की जावे। यह उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में रेती बजरी के अवैध खनन के समाचार प्रकाशित होते है तथा पुलिस द्वारा रेती बजरी जब्त की जाती है लेकिन उसका निस्तारण नही होता है जिससे राजकीय कोष को हानि हो रही है व थाने में भी अनावश्यक रेती पड़ी रहती है व खुर्द बुर्द होती है। अतः रेती बजरी का निस्तारण नियमानुसार करवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया जाकर उन्हें इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेटों से बजरी रेती कौन कौन से प्रकरणों में जब्त हुई, उनकी सूची मंगवाकर रिपोर्ट करेंगे ताकि तद्नुरूप कार्यवाही की जा सके।

11— संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में :—

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में न्यायिक अधिकारीगण से वार्ता एवं उनकी रिपोर्ट के दौरान यह तथ्य ध्यान में आया कि पुलिस/संबंधित थानाधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराधों में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही की जाती है व परिवादी को टाल दिया जाता है। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु लिखित में निवेदन किया जाता है किन्तु फिर भी धारा 154(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नही की जाती है जिस पर परिवादी मजबूरीवश न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करता है। इसके साथ परिवादी द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की गई रिपोर्ट व पावती पेश की जाती है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होते ही धारा 154 सी.आर.पी.सी. में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा **महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के ज्ञापन क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र /2019/3854—3929 दिनांक 13.02.2019** की पालना सुनिश्चित करावे।

इस प्रकार ऐसे मामले में जिनमे प्रथम दृष्टतया संज्ञेय अपराध घटित होना प्रतीत होता है उनमें भी पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है जिससे न्यायालय में बहुत संख्या में आपराधिक परिवाद पेश होते हैं जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम यू.पी. राज्य (2014) 2 एस.सी.सी.1 के मामले में संज्ञेय मामलों में धारा 154 द. प्र.सं. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करना आज्ञापक बताया गया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, भीलवाडा व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार संज्ञेय मामलों में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है, जिससे न्यायालय में बहुसंख्या में आपराधिक परिवाद पेश होते है, जबकि संज्ञेय मामलों में धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करना आज्ञापक हैं। धारा 154(1) व धारा 154(3) दण्ड प्रकिया सहिता के अनुसार पुलिस थाना व पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने वाले परिवाद/रिपोर्ट लम्बे समय तक जांच हेतु लंबित रहते है, जबकि जांच भी 15 दिवस के भीतर पूर्ण कर यदि संज्ञेय अपराध बनना प्रकट होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना आवश्यक हैं।

वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्वत बनाम यू.पी. राज्य (2015) 6 एस.सी.सी. 287 के मामले में प्रतिपादित न्यायिक मत एवं साधारण नियम (सिविल एवं दाण्डिक), 2018 के आदेश 35 नियम 03 की पालना में परिवादी पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 154 (1) व 154 (3) द.प्र.सं. के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जा रही है । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद के संबंध में संबंधित पुलिस थाना परिवाद पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की जाती है तो लंबे समय तक परिवाद जॉच के प्रक्रम पर ही संबंधित थाने पर लंबित रहना सूचित किया जाता है जबकि संज्ञेय प्रकृति के विशिष्ठ मामलों में प्रारंभिक जॉच हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस. पिटीशन नं. 5029/2014 (रिट पिटीशन नं. 68/2008 ललिता कुमारी बनाम यू.पी. राज्य) में पारित आदेश दिनॉक 05.03.2014 से 15 दिवस का समय प्रदत्त किया गया है।

पुलिस अधीक्षक भीलवाडा द्वारा संज्ञेय प्रकृति के विशिष्ठ मामले जिनमें प्रारंभिक जॉच आवश्यक है, उनमें 15 दिवस की अवधि में जॉच पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर यदि संज्ञेय अपराध घटित होता हो तो पुलिस थाना स्तर पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जाना सुनिश्चित किया जावे।

विशिष्ठ प्रकृति से भिन्न संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने पर रिपोर्ट/परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करा सकते हैं।

12— धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता की जॉच के संबंध में ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जॉच के लिये पुलिस को भेजा गया व पुलिस के द्वारा निर्धारित समय में जॉच करके पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई, से संबंधित प्रकरणों का विवरण :—

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा पाया गया है कि धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत न्यायालय जॉच के लिए प्रकरण पुलिस को भेजती है तो पुलिस निर्धारित समयावधि में जॉच कर वापस न्यायालय को नही भेजती है और अनावश्यक लम्बे समय तक जॉच पत्रावली न्यायालय में चलती रहती है जिससे परिवादी को धारा 156(3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना पड़ता है और कई बार प्रकरण में तुरन्त अन्वेषण की आवश्यकता होती है। विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से अनावश्यक विवाद व पेचीदगिया उत्पन्न हो सकती है तथा कानूनी जटिलताएं बढ सकती है। इस सबंध में पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा कुल **134** जॉच लंबित होने की सूचना प्रेषित की गई है । जबकि इस न्यायक्षेत्र के न्यायालयों से प्राप्त सूचनाओं अनुसार भीलवाडा न्यायक्षेत्र में ऐसी कुल **263** जॉच लंबित है। इस प्रकार पुलिस एजेंसी द्वारा प्रदत्त सूचना एवं इस न्यायक्षेत्र के न्यायालयों द्वारा प्रेषित सूचना में विसंगति/असमानता है । पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को इस न्यायक्षेत्र के न्यायालयों द्वारा इस बिंदु के संबंध में प्रेषित सूचनाओं की सूची **परिशिष्ठ 05** उक्त विसंगति/असमानता दूर करने हेतु दी जावे। पुलिस अधीक्षक भीलवाडा इस संबंध में कार्यालय **महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 9727—98 दिनांक 10.05.2019** के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये संबंधित थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देवें।

अति. महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान के परिपत्र क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/2019/6659— 6729 दिनांक 27.03.2019 की पालना की जाकर निर्धारित रजिस्टर में इसका इन्द्राज किया जाकर जॉच को निर्धारित एक माह में पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संबंधित थानाधिकारियों व सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्देशित किये जावे और 03 माह से अधिक अवधि से लम्बित धारा 202 द.प्र.सं. की जॉचों की समीक्षा की जाकर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।

13— धारा 164 द.प्र.सं. के बयान के सम्बन्ध में समस्या व सुझाव :—

पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नजदीकी दिनांक दी जाकर थाने के क्षेत्राधिकार के न्यायाधीश के नाम आदेश जारी करने व बयान होते ही प्रमाणित प्रति दिलाये जाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाडा ने अवगत कराया कि 164 सी.आर.पी.सी. के बयान लेखबद्व करने हेतु लिंक मजिस्ट्रेट के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डोंगर सिंह बनाम राजस्थान राज्य क्रिमीनल अपील संख्या 2545—46/2017 व नारायन चन्देला व अन्य बनाम राजस्थान राज्य क्रिमीनल अपील संख्या 2547/17 में पारित निर्णय में चश्मदीद गवाहान के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान कराये जावे।

न्यायालय द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार धारा 164 के बयान के समय परिवादी की पहचान के लिए अनुसंधान अधिकारी उपस्थित नहीं होता है अतः पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे समस्त अधिकारीगण को 164 के बयान के समय परिवादी की पहचान के लिए उपस्थित रहने हेतु पाबंद करें।

14— आयुध अधिनियम, आबकारी अधिनियम व अन्य अधिनियमों के मामले में आरोप पत्र पेश करने के सम्बन्ध में समस्या व सुझाव :—

मीटिंग के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि आयुध अधिनियम के मामले में अभियोजन स्वीकृति के अभाव में चालान पेश नही हो पाता है, अतः आर्म्स एक्ट के साथ अन्य अधिनियम है तो अन्य अधिनियम के तहत तारीख पेशी पर चालान स्वीकार किया जावे एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के तहत तारीख पेशी पर चालान स्वीकार किये जायें। इस पर न्यायिक अधिकारीगण की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि ऐसे प्रकरणो में चालान होने पर एक या कुछ ही अभियुक्त के विरूद्ध चालान पेश किया जाकर अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान लम्बित रख दिया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती है। पुलिस विभाग व आबकारी विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में चालान पेश करते समय पूर्ण वैधानिक पालना नही की जाती है जिससे चालान लेने में परेशानी होती है। अभियोजन स्वीकृति के अभाव में प्रसंज्ञान लेने मे भी विशेष बाधा आती है। इस सम्बन्ध में भी पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के मामलों में परिसीमा अवधि के अवसान के उपरांत धारा 67(2) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त किये बिना आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक स्तर से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परिसीमा अवधि के अवसान के उपरांत राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के उपरांत ही न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जावें।

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के अधिकारियों से प्राप्त सूचना व विचार विमर्श से यह स्थिति सामने आई है कि आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में चालान के समय एफ. एस.एल.रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है जिससे यह स्पष्ट नही होता है कि जो सामग्री जब्त की गई वह शराब या आबकारी योग्य वस्तु है या नही। ऐसी स्थिति में एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्राप्त करके चालान प्रस्तुत किया जावे और यदि प्रसंज्ञान अवधि निकल रही हो तो ऐसी स्थिति में उक्त अवधि समाप्ति से पूर्व ही न्यायालय में विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए चालान प्रस्तुत किया जावे तथा इस सम्बन्ध में थानाधिकारी चालान के साथ यह अण्डरटेकिंग देंगे की उनके द्वारा उल्लेखितानुसार एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास किये है और उनके द्वारा एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास कर शीघ्र एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी । तद्नुरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट चालान ले सकेंगे। इस संबंध में सदस्य सचिव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), भीलवाड़ा को निर्देशित किया गया कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेटो को इस सम्बन्ध में अवगत करावे।

15– अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने अथवा नहीं होने के संबंध में समस्या, सुझाव :–

पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जिला कलेक्टर/राज्य सरकार से धारा विशेष में अभियोजन स्वीकृति समय पर प्राप्त न हो तो उन प्रकरणों में लगी अन्य धाराओं/अधिनियम में चालान स्वीकार किया जावे, भविष्य में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही न्यायालय में पेश कर दी जायेगी।

मीटिंग के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा यह भी बताया है कि आयुध अधिनियम के मामले में अभियोजन स्वीकृति के अभाव में चालान पेश नही हो पाता है, अतः आर्म्स एक्ट के साथ अन्य अधिनियम है तो अन्य अधिनियम के तहत तारीख पेशी पर चालान स्वीकार किया जावे एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होते ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी। इसी प्रकार आबकारी अधिनियम के तहत तारीख पेशी पर चालान स्वीकार किये जायें। इस पर न्यायिक अधिकारीगण की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि ऐसे प्रकरणो में चालान होने पर एक या कुछ ही अभियुक्त के विरूद्ध चालान पेश किया जाकर अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान लम्बित रख दिया जाता है, जिससे न्यायिक प्रक्रियां पूर्ण नही हो पाती है। पुलिस विभाग व आबकारी विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों में चालान पेश

करते समय पूर्ण वैधानिक पालना नही की जाती है जिससे चालान लेने में परेशानी होती है। अभियोजन स्वीकृति के अभाव में प्रसंज्ञान लेने मे भी विशेष बाधा आती है। इस सम्बन्ध में भी पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

16— विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समस्या व सुझाव :—

पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया कि जिन प्रकरणों में एफ.एस.एल.नतीजा रिपोर्ट समय पर प्राप्त नही होती है उन प्रकरणों में एफ.एस.एल.रिपोर्ट मंगवाने हेतु समय समय पर अर्द्धशासकीय पत्र लिखे जा रहे है तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रस्तुत होते ही न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे कुल **66** प्रकरण लम्बित होना बताया गया है जिसकी सूची साथ में संलग्न होना बताया है किन्तु इस न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुल प्रकरण **465** बताये गये है। जिसकी सूची **परिशिष्ठ 06** है।

17— वन अधिनियम, आयुध अधिनियम व अन्य अधिनियमों के अपराध के संबंध में ऐसे प्रकरणों के विवरण जिनमें आरोप पत्र पेश होने की परिसीमा अवधि निकल चुकी हो और उनमें आरोप पत्र पेश नहीं हुये हों :—

जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा इस बिंदु के संबंध में कुल 10 प्रकरण लंबित बताये है किन्तु इस न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुल प्रकरण **102** बताये गये है। इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारीगण भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची की प्रति **परिशिष्ठ 07** पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को भिजाई जावे एवं पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा सभी सम्बन्धित थानाधिकारी से सही सूचना प्राप्त करे।

आबकारी अधिनियम के तहंत दण्डनीय अपराध के मामलों में परिसीमा अवधि के अवसान के उपरांत धारा 67(2) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य सरकार से विशेष स्वीकृति प्राप्त किये बिना आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक स्तर से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि परिसीमा अवधि के अवसान के उपरांत राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के उपरांत ही न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जावें।

18— न्यायिक अभिरक्षा मे चल रहे अभियुक्तगण के प्रकरणों में त्वरित निस्तारण के संबंध में समस्या व सुझाव :—

इस बिन्दु पर भी मीटिंग में विचार—विमर्श किया गया एवं वार्ता की गई। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई अंकन नही किया गया है। न्यायिक अधिकारीगण द्वारा पेश अपनी रिपोर्टो में अंकन किया गया है कि ऐसे प्रकरणो में साक्षी समय पर उपस्थित नही होते है, पुलिस कर्मियों की तामील समय पर नही होती है। अभियुक्तगण का तारीख पेशी पर नही आ पाना भी एक जटिल समस्या दर्शाई गई है जिसके कारण अभियुक्तगण पर आरोप विरचित करने में भी अनावश्यक विलम्ब होता है। इस सम्बन्ध में निराकरण हेतु यह भी दर्शाया गया है कि जारीशुदा तामीलों बाबत पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा अपने स्तर पर एक पुलिस निरीक्षक को नियुक्त कर साप्ताहिक रिपोर्ट उनसे ली जानी चाहिए, न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे अभियुक्तगण को नियत पेशी पर उपंस्थित रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। सारभूत गवाह को सबसे पहले तलब किया जावे तथा जिन गवाहो के बयान महत्वपूर्ण नही हो उन्हें अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तामील हेतु स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया गया हैं।

19— धारा 125 द.प्र.सहिता के अन्तर्गत भरण पोषण की राशि की वसूली के संबंध में आ रही समस्या और उनके निराकरण हेतु सुझाव :—

पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकन किया है कि जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूल की जानी है वह न्यायालय से जारी वसूली वारण्ट पर अंकित पते पर नही मिलने के कारण तामील कराने मे समस्या रहती है। इस न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राशि की वसूली के संबंध में अधिवक्तागण द्वारा प्रोसेस फीस प्रस्तुत नही किये जाने से तामील जारी नही हो पाती है जिससे प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब होता है। अधिकतर प्रकरणों में भरण पोषण की राशि वसूल नही हो पाने का यही कारण दर्शित किया जाता है। अदम अदायगी की सूरत में अप्रार्थी को कारावास भुगताया जाने के उपरान्त भी राशि वसूल नही हो पाती है। प्रकरणों में विपक्षी पर वारण्ट वसूली विपक्षी द्वारा अपना पता बदल लिये जाने से अथवा कमाने हेतु बाहर चले जाने से तामील नही हो पाती है। इसके सुझाव में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी का वर्तमान पता न्यायालय को अवगत कराया जावे तो वारण्ट वसूली की तामील हो सके।

20— धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के अपराध के मामलो में अनुसंधान एजेन्सी द्वारा हस्तलेख के नमुने लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने के संबंध में अनुसंधान किये जाने के संबंध में विवरण तथा सुझाव :—

पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि उक्त धाराओं में दर्ज प्रकरणों के अनुसंधान के दौरान हस्तलिखित नमुने लिये जाकर जॉच हेतु एफ एस एल भिजवाये जा रहे है। इस न्यायक्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यह अंकन किया गया है कि सामान्यतया छल व कूट रचना से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में यद्यपि अनुसंधान एजेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार हस्तलिपि/हस्ताक्षर के नमूना लिया जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जॉच कराई जाती है, किन्तु ऐसे मामलों में यह अपेक्षित है कि अनुसंधान से यह प्रमाणित कराया जावे कि अमुक कूट रचना अमूक व्यक्ति द्वारा की गई है। अभिकथित हस्ताक्षर/हस्तलिपि जिन्हें प्रकरण के पीडित पक्ष द्वारा कूटरचित बताया जाता है, उनके संबंध में पीड़ित पक्ष के नमूना व अविवादित हस्तलिपि/हस्ताक्षर संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर यह तो प्रमाणित करा दिया जाता है कि विवादित हस्ताक्षर/हस्तलिपि पीड़ित की नहीं है किन्तु इस संबंध में अनुसंधान नहीं किया जाता है कि अभिकथित हस्ताक्षर/हस्तलिपि अभिकथित आरोपी की है, क्योंकि जब तक यह प्रमाणित नहीं कराया जाता कि अमुक कूटरचना अभिकथित आरोपी द्वारा की गई है, तब तक उसको कूटरचना कारित करने के संबंध में दोषसिद्व नहीं किया जा सकता । जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा उक्त तथ्यों की पालना सुनिश्चित कराने बाबत संबंधित थानाधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों को दिशा—निर्देश जारी करें।

21— न्यायालय की सुरक्षा के संबंध में समस्या एवं सुझाव, अन्य कोई समस्या एवं निराकरण के सुझाव :—

(1) वर्तमान में मुख्यालय पर स्थित जिला न्यायालय परिसर एवं मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायालय परिसर की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध नहीं हैं। न्यायालय परिसर के प्रत्येक गेट पर आरक्षी दल की व्यवस्था होना अपेक्षित है।

(2) पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरांत जो नतीजा प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें नतीजा प्रस्तुत किये जाने के कोई कारण अंकित नहीं होते, बल्कि किये गये अनुसंधान का विवरण अंकित करते हुये किस अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यह अंकित कर दिया जाता है । जबकि यह अपेक्षित है कि कोई अपराध क्यों बनना पाया जाता है, इस संबंध में

अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण विवेचन किया जाये। अतः पुलिस अधीक्षक भीलवाडा इस संबंध में समस्त थानाधिकारी/अन्वेषण अधिकारी को निर्देशित करावें।

(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कार्यवाही हेतु विशेष पुलिस ईकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का उपस्थित होना अपेक्षित है, किन्तु जिले के अधिकांश पुलिस थानों की ओर से कोई भी कार्मिक उपस्थित हो जाता है, जिसे उक्त अधिनियम के अनुसार कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अतः पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को इस संबंध में सम्यक कार्यवाही कर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

(4) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालक/किशोर द्वारा कोई अपराध कारित किए जाने के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड को जॉच की क्षेत्राधिकारित प्राप्त है। पुलिस द्वारा बोर्ड के समक्ष ऐसे बालकों/किशोर जो किसी अपराध के लिये निरूद्व किये गये हैं, पेश किये जाते समय उनकी आयु के संबंध में सम्यक दस्तावेज पेश नहीं किये जाते। अधिकांश मामलों में आधार कार्ड पेश किया जाता है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आधार कार्ड के आधार पर किशोर की उम्र निर्धारित नही की जा सकती। अतः सम्पूर्ण जिले में यह प्रक्रिया तय की जावे कि बोर्ड के समक्ष किसी बालक को उसकी आयु संबंधी सम्यक् दस्तावेज सहित ही पेश किया जावे।

(5) पुलिस द्वारा रिमाण्ड/अभियोग पत्र एवं परिवादी की हैसियत से प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद के संबंध में प्रायः यह दृष्टिगत होता है कि संबंधित द्वारा रिमाण्ड/अभियोग पत्र एवं परिवाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व आरोपी/गैर सायल की आयु के संबंध में कोई भी जांच नहीं की जाती है, जिससे अवयस्क व्यक्तियों को भी अभिरक्षा के लिये एवं अवयस्क के विरूद्व भी अभियोग पत्र/परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, जिसके संबंध में संबंधित अवयस्कता का तर्क लिये जाने पर न्यायालय को जॉच करनी होती है। अतः पुलिस अधीक्षक स्तर पर रिमाण्ड/आरोप पत्र/परिवाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व पार्श्विक आयु (marginal age) वाले आरोपी/गैरसायल की आयु के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 के प्रावधानानुसार संबंधित की आयु सुनिश्चित किये जाने के उपरांत ही ऐसे आरोपी को रिमाण्ड के लिये या ऐसे आरोपी/गैरसायल के विरूद्व अभियोग पत्र/परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) न्यायालयों के समक्ष आरोपी को हथकडी लगाने की अनुमति बाबत जो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है, प्रथम तो विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं होता, द्वितीय उसमें विहित सूचनाओं की पूर्ति नहीं की जाती है, जबकि इस संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक सी.आई.डी./सी.बी./पीआरसी/परिपत्र/35/2012/5914–84 दिनांक 16.07.2012 द्वारा राज्य के समस्त पुलिस अधीक्षक को विहित प्रारूप में ही आवेदन पेश करने के लिये निर्देशित किया जा चुका है। अतः पुलिस अधीक्षक भीलवाडा को उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

(7) महिलाओं का अशिष्ठ प्रतिरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के प्रावधानों की पुलिस द्वारा सामान्यतया पालना नहीं की जाती है इसी प्रकार प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 एवं पण्य चिन्ह अधिनियम, 1999 से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की विशेषज्ञ साक्ष्य एकत्रित नहीं की जाती।

(8) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 में विहित विशेष पुलिस अधिकारी से निम्न पंक्ति के अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं उक्त अधिनियम की धारा 15(6क) के अनुसार तलाशी के समय तलाशी लेने वाले विशेष पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं, इसी प्रकार उक्त अधिनियम, 1956 के मामलों में पीडित स्त्री या लडकी को भी आरोपी बनाया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती । पुलिस अधीक्षक द्वारा मामलों में उक्त प्रावधानों की पालना के लिए संबंधित को निर्देशित किया जा सकता है।

(9) पुलिस द्वारा आपराधिक मामलों के अनुसंधान के दौरान विनिर्दिष्ट प्रकरण के वजह सबूत के अतिरिक्त अपराध के संदिग्ध या चुराई हुई सम्पत्ति मानते हुए बहुसंख्यक जंगम सम्पत्ति (अधिकांशतः वाहन) को धारा 102 द.प्र.सं. के तहत जप्त करते हैं, किन्तु ऐसी जप्ती को विर्निदिष्ट प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली में ही संलग्न कर आरोप पत्र/अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है, संबंधित न्यायालय को ऐसी जप्ती के बारे में सूचना ही नहीं दी जाती है, इस कारण संबंधित मूल प्रकरण के निस्तारण के समय भी धारा 102 द.प्र. सं. के तहत जप्त की गई जंगम सम्पत्ति का विधिनुसार निस्तारण नहीं हो पाता है, जबकि धारा 102(3) द.प्र.सं. के प्रावधानानुसार प्रत्येक अधिकारी, जिसके द्वारा धारा 102(1) द.प्र.सं. के तहत सम्पत्ति जप्त की गई है, क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना देने के लिये दायित्वाधीन है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामलों में उक्त प्रावधानों की पालना के लिए संबंधित को निर्देशित किया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 9322 of 2022 in FAFO No. 3303 of 2018, Gohar Mohammad Versus Uttar Pradesh State Road Transport Corporation & ors में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 की पालना सुनिश्चित करने बाबत् जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को दुर्घटना के मामलों में क्लेम बाबत् संबंधित न्यायालयों को FAR प्रेषित करने हेतु समस्त थानाधिकारीयों को उक्त निर्णयानुसार उचित कार्यवाही करने बाबत् निर्देश प्रदान किये गये।

भीलवाडा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

भीलवाडा मुख्यालय पर वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड को सम्मिलित करते हुए 29 न्यायालय कार्यरत है। भीलवाडा न्यायालय परिसर में निम्न न्यायालयों के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त परिसर नहीं है :–

1. श्रम न्यायालय
2. पारिवारिक न्यायालय संख्या–01, भीलवाड़ा
3. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा
4. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय–2
5. विशिष्ठ न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संख्या–01, भीलवाड़ा
6. विशिष्ठ न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) संख्या–02, भीलवाड़ा
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, भीलवाड़ा
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्व
9. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 1
10. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 2
11. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 3
12. विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं. 4
13. वाणिज्यिक न्यायालय
14. पारिवारिक न्यायालय संख्या–02, भीलवाड़ा

उपरोक्त न्यायालयो में से 7 न्यायालय के भवन (पारिवारिक न्यायालय संख्या–02, भीलवाड़ा, पोक्सो सं.1, पोक्सो सं. 2, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट प्रकरण सं. 1, 2, 3 व 4) किराए के परिसर में संचालित है। इसी कम में श्रम न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित की जा रही है। दिनांक 26.05.2021 को विधि एवं विधिक कार्य विभाग भीलवाडा द्वारा जारी अधिसूचना तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कमांक 1262 दिनांक 04.06.2021 द्वारा भीलवाडा मुख्यालय पर वाणिज्यिक न्यायालय का सृजन किया गया है न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.संख्या–1 को किराये के भवन में शिफ्ट किए जाने से वाणिज्यिक न्यायालय एवं कार्यालय को एन.आई.संख्या–1 के परिसर में संचालित किया जा रहा हैं। वर्तमान में कई संचालित न्यायालयों हेतु पर्याप्त व उपयुक्त परिसर नहीं है, न ही पार्किंग व अन्य सुविधाऐं समुचित है। न्यायालय एम.ए.सी.टी.संख्या–2 के न्यायालय के संचालन के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्ट्रट, परिसर में भवन उपलब्ध करवा दिया गया है। न्यायालय पारिवारिक न्यायालय संख्या–02 किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।

इसी के साथ भीलवाडा मुख्यालय पर न्यायालय एवं आवसीय भवन में आधारभूत सुविधाओं हेतु 50 बीघा भूमि के आवंटन हेतु कार्यवाही की गई, परन्तु वर्तमान में **राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक भूमि/एफ.7(ड)(24)/डीएलबी/2018/18396, दिनांक 10.09.2021 से जिला न्यायालय परिसर हेतु 18.00 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृती प्रदान की गई है।**

उक्त भूमि आवंटन बाबत् एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अध्यधीन हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक लेखा/भवन/VII/C/2/75/भीलवाड़ा/401 दिनांक 22.07.2022 से संलग्न पत्र द्वारा प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर का पत्रांक पं.27(8)न्याय/2019/पार्ट दिनांक 12.07.2022 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर को जिला एवं सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा को ग्राम सांगानेर, भीलवाड़ा की आराजी नंबर 1344 रकबा 143–15 बीघा में से 50 बीघा भूमि व अन्य अतिरिक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करने की कार्यवाही शीघ्र करवाकर की गई कार्यवाही से रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग जयपुर को अवगत कराने से स्थानीय प्रशासन, भीलवाड़ा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर उक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करने की शीघ्र कार्यवाही करें। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा तथा प्रमुख शासन सचिव, राजस्थव विभाग, जयपुर शासन सचिवालय, जयपुर)**

प्रस्ताव :–

1– वर्तमान में भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर में न्यायालयों के लिए पर्याप्त व उपयुक्त परिसर नहीं है, सात न्यायालय किराये के परिसर में तथा दो न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित हो रहे हैं। न्यायालय भवनों की वर्तमान स्थिति एवं उनकी अपर्याप्तता तथा भविष्य में और न्यायालय खुलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायालय परिसर में उपस्थित आने वाले पक्षकारान् व अधिवक्तागण की संख्या को देखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों से न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास की आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र कमांक 18396, दिनांक

10.09.2021 को न्यायालय परिसर हेतु 18 बीघा भूमि के आवंटन की स्वीकृति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन रिट याचिका रखा जाना उचित होगा।

Vulnerable Witness Deposition Centre (VWDC) स्थापित करने के क्रम में:–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक III(i)(Bld)/Budget/Plan/VWDC/51/568 दिनांक 08/05/2023 द्वारा भीलवाड़ा मुख्यालय पर Vulnerable Witness Deposition Centre (VWDC) स्थापित करने हेतु कुल राशि 37.49 लाख (VWDC Room के निर्माण हेतु राशि 13.10 लाख, फर्नीचर के लिए राशि 13.53 लाख व VC Equipments के लिए राशि 10.86 लाख) आवंटित की गई है। जिसके संबंध में अधीक्षण अभियन्ता/ अधिषाशी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिविल), भीलवाड़ा अध्यक्ष, Vulnerable Witness Deposition Centre Committee (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01), भीलवाड़ा से समन्वय स्थापित कर उक्त VWDC के कार्य हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता/ अधिषाशी अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा अध्यक्ष, Vulnerable Witness Deposition Centre Committee (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01), भीलवाड़ा)**

भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारी आवासीय परिसर

भीलवाड़ा मुख्यालय पर 29 न्यायालय है जिनके पीठासीन अधिकारियों के आवास के संबध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित बजट से 11 आवास निर्मित है, जिनमें टाईप–1 के पॉच, टाईप–2 के एक तथा टाईप–3 के पांच आवास निर्मित है। इसके अलावा दो भवन जिला पूल द्वारा ईयरमार्क है, जिनमें से एक भवन में श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय व एक भवन में MACT-01 के पीठासीन अधिकारी के लिए ईयरमार्क है। पीठासीन अधिकारियों की संख्या और उनके स्तर को दृष्टिगत रखते हुए भीलवाड़ा मुख्यालय पर वर्तमान आंवासों के अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों के लिए 20 ओर आवासों की आवश्यकता है, जो श्रेणीवार निम्नलिखित है

क्र.सं.	आवास की श्रेणी	आवास संख्या
1.	स्पेशल टाईप–1	1
2.	टाईप–1	13
3.	टाईप–2	6

भीलवाडा मुख्यालय पर स्थित टाईप–3 के समस्त राजकीय आवासों में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष जरिये पत्रांक 131 दिनांक 18.12.2020 प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र कमांक 916 दिनांक 12/11/2014 के अनुरूप वर्तमान में टाईप–3 मकान में रहने वाले अधिकारियो के आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप– 2 स्तर के मकान के अनुरूप बनाया जाना जाकर टाईप–2 स्तर के आवासों में क्रमोन्नत किया जाना है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22.08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु न्यायालय भवन के लिए भीलवाडा मुख्यालय पर आवंटित होने वाली 18 बीघा भूमि के लगती/समीप पृथक से 15 बीघा पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

अतः पांच टाईप–3 के आवासों को टाईप 02 के स्तर के आवासों में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर कमोन्नत करने के लिए पूर्व में पत्र क्रमांक 131 दिनांक 18.12.2020 द्वारा बजट आवंटन हेतु मांग पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को भेजा गया था तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित हैं। शेष आवासीय परिसर का निर्माण 50 बीघा भूमि के आवंटन पर निर्भर है, वर्तमान में आवंटित की गई 18 बीघा भूमि अपर्याप्त हैं। आवासीय परिसर हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यक कार्यवाही श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार व निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अपेक्षित है।

नोडल अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा)

शाहपुरा मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा	हॉ	हॉ	2.9 बीघा	N.A.
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	नहीं		नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	नहीं	नहीं		वर्तमान परिसर की भूमि पर्याप्त नहीं है इसलिए समस्त आधारभूत सुविधाओं हेतु वर्तमान न्यायालय परिसर के समीप भूमि की आवश्यकता है।

आवासीय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा	हॉ	हॉ	--
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	नहीं(टाईप–3)	कमोन्नत के लिए उपलब्ध
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	हॉ	हॉ	..

शाहपुरा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय संचालित है, जिनमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा नवनिर्मित्त भवन में तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा पूर्व से निर्मित्त पुराने भवन में संचालित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा का न्यायालय वर्तमान में स्थानीय अभिभाषक

संस्था द्वारा प्रदत्त भवन में संचालित होकर पेटर्न अनुसार नहीं है। भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं, अभियोजन कार्यालय, लोक अभियोजक कार्यालय तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर इत्यादि के निर्माण के लिए भी भूमि की आवश्यकता रहेगी तथा उक्त आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित करतें हुए न्यायालय भवन हेतु उपलब्ध भूमि पर्याप्त नहीं है जिस बाबत् शाहपुरा के पीठासीन अधिकारीगण तथा अधिवकतागण के साथ बैठक आयोजित की गई जिनके द्वारा भी यह सहमति प्रकट की गई कि वर्तमान में उपलब्ध भूमि में न्यायालय भवन हेतु आधारभूत सुविधाए उपलब्ध भूमि में पूरी नहीं की जा सकती है। जिस बाबत् अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसे हेतु अधिवक्तागण व पक्षकारान की सुविधा अनुरूप एवं उपरोक्त आधारभूत सुविधायुक्त तथा भविष्य में न्यायांलय के नवसृजन को दृष्टिगत रखते हुए **लगभग 20 बीघा भूमि के आवंटन की आवश्यकता है** इस अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा ।

शाहपुरा मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर तीन न्यायिक अधिकारी पदस्थापित है परन्तु एक ही राजकीय आवास टाईप 3 का होकर उसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा निवास कर रहे है। एसीजेएम. शाहपुरा के टाईप–3 के 01 आवास को अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप ।। के आवास में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट की मांग माननीय उच्च न्यायालय से करने हेतु पुनः निवेदन किया जावें।

वर्तमान में शाहपुरा मुख्यालय पर दो नवनिर्मित आवासीय भवनों क्रमशः टाईप–1 व टाईप– 2 का संबंधित पीठासीन अधिकारीयों द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त करने की सूचना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को जरिये पत्रांक 419 दिनांक 02.07.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः वर्तमान में अब अधिकारीगण के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

01. न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा के न्यायालय भवन हेतु आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए भवन निर्माण बाबत् प्रस्ताव मय साईट प्लान पुनः भेजने हेतु अपर जिला न्यायाधीश शाहपुरा को लिखा जाना व समीपवर्ती अन्य भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करें तथा जिला प्रशासन, न्यायालय परिसर के समीपवर्ती भूमि का आवंटन करावें।

02. अतः एसीजेएम. शाहपुरा के टाईप–3 के 01 आवास को अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराया जाकर टाईप ।। के आवास में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट की मांग माननीय उच्च न्यायालय से करने हेतु नोडल ऑफिसर द्वारा पुनः निवेदन किया जाना अपेक्षित है।

03. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करें।

04. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करें।

(कार्यवाही अपेक्षित– एडीजे. शाहपुरा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाड़ा)

गंगापुर मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर	नहीं	नहीं	0.72 बीघा	नहीं
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	हॉ	नहीं		नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर	नहीं	नहीं		नहीं

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर	नहीं	नहीं	नहीं
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर	नहीं	नहीं	नहीं

गंगापुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

गंगापुर मुख्यालय पर 02 न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है। दिनांक 26.05.2021 को विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1265 दिनांक 04.06.2021 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर न्यायालय का सृजन किया गया है। इस प्रकार कुल मिला कर वर्तमान में गंगापुर मुख्यालय पर 03 न्यायालय है। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 188 दिनांक 15.04.22 द्वारा ग्राम डेलाना प0ह0 डेलाना के बिलानाम आराजी नं. 2875/786 रकबा 2.1 है0 भूमि चारागाह में परिवर्तन किये जाने की अनुशंषा के साथ रिपोर्ट मूल पत्रावली सहित जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को प्रेषित की है। अतः इस हेतु भूमि आवंटन करने की आवश्यक कार्यवाही जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपेक्षित है।

इस सबंध में भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय/लोक अभियोजक कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए गंगापुर–भीलवाड़ा मार्ग पर या वर्तमान न्यायालय परिसर के सामने उपयुक्त भूमि उपलब्ध है जिसके आवंटन बाबत् अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु न्यायालय भवन व आवासीय भवनों का निर्माण किया जा सके, जिस हेतु पीठासीन अधिकारी गंगापुर को स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर भूमि आवंटन की प्रकिया अविलम्ब प्रारम्भ करने की कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं तथा भविष्य में न्यायालयों के नवसृजन को दृष्टिगत रखते हुए **करीबन 15 बीघा भूमि की आवश्यकता है** जिस हेतु संबंधित पीठासीन अधिकारी को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भूमि आवंटित की कार्यवाही अपेक्षित है।

अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, गंगापुर द्वारा अवगत कराया गया कि गंगापुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर के पास स्थित जलदाय विभाग भवन इस वर्ष अगस्त 2023 में रिक्त होने की संभावना है। गंगापुर मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय संचालित है तथा दो न्यायालयों के संचालन हेतु भवन उपलब्ध नही

है। इस हेतु यदि जलदाय विभाग का भवन रिक्त होता है तो कोई एक न्यायालय के संचालन हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार कर वैकल्पिक तौर पर जलदाय विभाग का भवन प्राप्त कर कोई भी एक न्यायालय वहॉ संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

प्रस्तावः–

इस संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर स्थानीय प्रशासन से पत्राचार/ समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र न्यायालय परिसर के पास स्थित जलदाय विभाग भवन के रिक्त होने पर न्यायालय संचालन हेतु वैकल्पिक तौर पर प्राप्त करने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा तथा एस डी एम, ए.डी.जे. व ए सी जे एम गंगापुर)**

गंगापुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुर हेतु टाईप–2 का आवास उपलब्ध है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर हेतु टाईप–1 आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर को न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के आवास हेतु पर्याप्त एवं उचित भूमि चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन ने समन्वय स्थापित कर अविलम्ब आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ करें। **उपरोक्त न्यायालयों के लिए यदि 15 बीघा भूमि आवंटित की जाती है तो न्यायिक अधिकारीगण के आवास बाबत् पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर गंगापुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर के प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर को पत्र जारी किया गया हैं। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर से कार्यवाही अपेक्षित हैं।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. एस.डी.एम, गंगापुर ए.डी.जे. व ए.सी.जे.एम. से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र उक्त तीनों न्यायालयों एवं उन दोनों पीठासीन अधिकारियों के आवास हेतु पर्याप्त एवं उचित भूमि चिन्हित कर अविलम्ब आवंटन की कार्यवाही करावे।
2. ए.सी.जे.एम. गंगापुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।
3. न्यायिक अधिकारी हेतु राजकीय आवास हेतु कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।
4. ए.सी.जे.एम. गंगापुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर एस डी एम, ए.डी.जे. व ए सी जे एम गंगापुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

जहाजपुर मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		

01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	नहीं	नहीं	2 बीघा	नहीं
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	हॉ	नहीं		नहीं

आवासीय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	नहीं	नहीं	हॉ
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	हॉ	हॉ (टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध

जहाजपुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

जहाजपुर मुख्यालय पर वर्तमान में 02 न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने पुराने भवन में संचालित है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय अभिभाषक संस्था द्वारा उपलब्ध भवन में संचाालित हो रहा है। वर्तमान में जहाजपुर न्यायालय हेतु आवंटित भूमि अपर्याप्त दर्शित होने वर्तमान में जहाजपुर मुख्यालय पर न्यायालय भवन तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम, केंटीन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेन्डर्स टाईपिस्ट, अभियोजन कार्यालय आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर इत्यादि के निमार्ण के लिए हेतु अतिरिक्त भूमि 80 फीट X 60 फीट के आवंटन हेतु प्रकिया नगरपालिका, जहाजपुर के पत्रांक 685 दिनांक 15.06.2020 के अनुसार नगरपालिका, जहाजपुर के स्तर पर लंबित है। **न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर के पत्रांक 57, दिनांक 06.08.2021 द्वारा न्यायालय परिसर के लिए 10 बीघा भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिस कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1647, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प0ह0जहाजपुर के आ0न0 7554/6084 रकबा 94–10 बीघा भूमि हेतु प्रस्ताव तैयार कर मय चैक लिस्ट एवं अभिशंषा के उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को भिजवाया है जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के स्तर पर लंबित हैं।**

जहाजपुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

जहाजपुर मुख्यालय टाईप–2 के एक आवास की आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र कमांक 916 दिनांक 12/11/2014 के अनुसरण में वर्तमान में जहाजपुर मुख्यालय पर स्थित टाईप– 3 के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष जरिये पत्रांक 132 दिनांक 18.12.2020 प्रेषित किया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय. जोधपुर से बजट आवंटन के स्तर पर लंबित है। राजकीय आवास हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर ने 2.10 बीघा भूमि का सुपुर्दगीनामा ले लिया है तथा राजकीय आवास के निर्माण हेतु राशि 83.52 लाख का एस्टीमेट सार्वजनिक निर्माण विभाग से टाईप–2 आवास के निर्माण बाबत् प्राप्त हुआ है, जिसे बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को भिजवाया जावें। **न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर के पत्रांक 57, दिनांक 06.08. 2021 द्वारा ए.सी.जे.एम.आवास हेतु 03 बीघा भूमि, ए.डी.जे.आवास हेतु 03 बीघा भूमि एवं न्यायिक कर्मचारीगण हेतु 06 बीघा भूमि कुल 12 बीघा भूमि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, जिस पर कार्यालय तहसीलदार, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक राजस्व/2021/1649, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह.जहाजपुर के आ0न0 7576/6086 रकबा 25–18 बीघा कुल 03 बीघा ए.डी.जे.के आवास हेतु, पत्रांक राजस्व/2021/1646, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर के आ0न0 7576/6086 रकबा 25–18 बीघा कुल 03 बीघा ए.सी.जे.एम.के आवास हेतु, पत्रांक राजस्व/2021/1648, दिनांक 26.08.2021 से राजस्व ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर के आ0न0 7554/6084 रकबा 94–10 बीघा न्यायिक कर्मचारीगण के आवास हेतु 06 बीघा भूमि का प्रस्ताव तैयार कर मय चैक लिस्ट एवं अभिशंषा के उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा को भिजवाया है, जिसकी प्रति जिला कलेक्टर को भिजवाई हुई है नोडल ऑफिसर द्वारा भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर से पत्राचार किया जाना अपेक्षित हैं।**

जहाजपुर मुख्यालय पर स्थित टाईप–3 राजकीय आवास को टाईप–2 में कमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तखमीना तैयार कराया जाकर इस कार्यालय को प्रेषित किया हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजकीय आवास को कमोन्नत करने हेतु बजट आवंटन किया जाना अपेक्षित हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में 15 प्रतिशत राजकीय आवास न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर को लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।**

<u>प्रस्ताव :–</u>

1– जिला कलेक्टर, **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर से समन्वय स्थापित कर** भूमि के आवंटन की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करावें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा व उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर)

2– टाईप– 3 के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को प्रेषित किया जाने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बजट आवंटन किया जाना अपेक्षित हैं।

3– ए.सी.जे.एम. जहाजपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

4– ए.सी.जे.एम. जहाजपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जहाजपुर)

<u>गुलाबपुरा मुख्यालय</u>

<u>न्यायालय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा	नहीं	नहीं	नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र क्रमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्गफीट) भूमि आंवटित की गयी।	10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्ग फीट) भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि पर एडीजे न्यायालय भवन , कार्यालय भवन मय आधार भूत सुविधा का निर्माण प्रस्तावित है।

02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	हॉ	नहीं	123 × 221 फीट	नहीं

आवासीय भवन

कम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा	नहीं	नहीं	नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र क्रमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्ग मीटर (1,16,647 वर्गफीट) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। उक्त भूमि पर एडीजे न्यायालय भवन, कार्यालय भवन, न्यायिक अधिकारी आवास का निर्माण प्रस्तावित है।
02	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.

गुलाबपुरा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र क्रमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्गमीटर (1,16,647 वर्गफीट/4.28 बीघा) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। गुलाबपुरा मुख्यालय पर वर्तमान में 02 न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने पुराने भवन में संचालित है तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय हेतु स्वयं का भवन नहीं होकर स्थानीय बार एसोसियेशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में उक्त न्यायालय संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में 3718.35 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है व निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में गुलाबपुरा मुख्यालय पर न्यायालय भवन व राजकीय परिसर हेतु आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय हेतु आवंटित भूमि के निकट जैल है तथा जैल निर्माण हेतु अन्य जगह भूमि आवंटित हो चुकी हैं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु आवंटित भूमि के निकट जेल की भूमि तथा वर्तमान मे चल रहे न्यायालय की भूमि व उसके पास की भूमि को शामिल करते हुए अन्य भूमि के आवंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा उक्त भूमि पर ए.डी.जे. न्यायालय भवन, कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, ए.डी.आर. सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए नगर पालिका एवं प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा को कुल **करीबन 10 बीघा भूमि के आवंटन की** कार्यवाही संपादित करे।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को 10 बीघा भूमि न्यायालय भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।

गुलाबपुरा मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा हेतु टाईप–2 का राजकीय आवास उपलब्ध है किन्तु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा के निवास हेतु राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है, जिसके निर्माण बाबत नगरपालिका गुलाबपुरा के आवंटन पत्र क्रमांक 2013–14/108 दिनांक 28.02.2014 द्वारा 10841 वर्गमीटर (1,16,647 वर्गफीट/4.28 बीघा) आंवटित भूमि उपलब्ध हैं। उक्त भूमि पर ए.डी.जे.

न्यायालय भवन, कार्यालय भवन, न्यायिक अधिकारी आवास का निर्माण प्रस्तावित है। **न्यायालय हेतु करीबन 10 बीघा भूमि आवंटन होने पर पृथक से राजकीय आवास हेतु भूमि की आवश्यकता नहीं रहेगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1– आवंटित भूमि के निकट जैल है जिसे अन्य जगह जैल निर्माण हेतु भूमि आवंटित हो चुकी है अतः न्यायालय हेतु आवंटित भूमि के निकट जैल की भूमि तथा वर्तमान मे चल रहे न्यायालय की भूमि व उसके पास की भूमि को शामिल करते हुए तथा भविष्य में न्यायालयों के सृजन, अधिवक्ताओं तथा पक्षकारानों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए **10 बीघा भूमि न्यायालय भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवंटित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को लिखा गया है जिस पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।**

2– एडीजे गुलाबपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासों के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करे।

3– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, ए.डी.जे. गुलाबपुरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

माण्डल मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	**भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं**		
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	नहीं	नहीं	03–04 बीघा	नहीं
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	हॉ	नहीं	36 मीटर X 62 मीटर	नहीं
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, माण्डल	हॉ	हॉ	3.04 बीघा	N.A.

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	नहीं	नहीं	हॉ (01 बीघा 04 बिस्वा भूमि आवंटित होकर

02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल	हाँ	नहीं	टाईप–2 के तीन आवासों के लिए उपलब्ध है)
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, माण्डल	नहीं	नहीं	

माण्डल मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

माण्डल मुख्यालय पर वर्तमान में 03 न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ग्राम न्यायालय संचालित है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तहसील परिसर में ही स्थित भवनों में चल रहे है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्वयं के पुराने भवन में संचालित है तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थानीय अभिभाषक संस्था द्वारा उपलब्ध करवाए गए भवन में संचालित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल हेतु जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश संख्या 3056 दिनांक 11.12.2020 द्वारा 03–04 बीघा भूमि पृथक से आवंटित की। आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं मजहर सुल्तान व अन्य बनाम यूपीएससी के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों व राजगढ़ बार एसोसिएशन बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 2428/2018 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2019 के अनुरूप अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए भी भूमि की आवश्यकता रहेंगी। वर्तमान में माण्डल मुख्यालय पर **न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारीगण के आवास हेतु 10–15 बीघा भूमि की आवश्यकता है** जिस बाबत पीठासीन अधिकारी को उक्त भूमि के आवंटन बाबत स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही करें।

माण्डल मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में माण्डल न्यायालय परिसर में जर्जर अवस्था में टाईप–3 का एक आवास उपलब्ध है जो कि सरकार द्वारा दिया गया है, जो आवास के योग्य नहीं है। दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार दो न्यायालयों तथा तीन न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु भूमि की आवश्यकता होने से जिला प्रशासन द्वारा अभी हाल में 1.04 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जो वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु अपर्याप्त है तथा इसके समीपवर्ती भूमि को भी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवंटित किए जाने बाबत पीठासीन अधिकारी कार्यवाही करें। यदि न्यायालय हेतु **यदि आधारभूत सुविधाओ युक्त 10–15 बीघा भूमि स्थानीय प्रशासन द्वारा आवंटित कर दी जाती है तो न्यायिक अधिकारीगण के आवास बाबत् पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts/Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासों के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. वर्तमान में जे.एम. न्यायालय हेतु भवन पुराना हो चुका है एवं ए.सी.जे.एम. माण्डल हेतु भवन उपलब्ध नहीं है। अतः दोनों न्यायालय भवन एक ही परिसर में हो सके हेतु एवं भविष्य में नये न्यायालय सृजित होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये **10–15 बीघा भूमि की** अतिरिक्त आवंटन हेतु कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

2. ए.सी.जे.एम. माण्डल स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

3. ए.सी.जे.एम. माण्डल स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।
(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल)

ग्राम न्यायालय, सुवाणा

ग्राम न्यायालय, सुवाणा

यह न्यायालय भीलवाड़ा मुख्यालय से 8 किमी. की परिधि में स्थित है। उक्त न्यायालय पर्याप्त परिसर की भूमि पर स्थित है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि मूलभूत सुविधाए सुनिश्चित करें।

ग्राम न्यायालय, सुवाणा आवासीय परिसर

न्यायाधिकारी के आवास हेतु वर्तमान में सुवाणा में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। इस सबंध में न्यायाधिकारी ने इस कार्यालय को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा सुवाणा से दो कि.मी. की दूरी पर ही स्थित है इसलिए मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा में ही आवास हेतु कोई भूमि उपलब्ध हो तो वहां आवास निर्माण करवाया जाना सुरक्षित एवं उचित है। यदि भीलवाडा में पर्याप्त **भूमि आवंटन होने पर भविष्य में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सुवाणा हेतु राजकीय आवास हेतु पृथक से भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्तावः

1. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट कॉलोनी, भीलवाड़ा के आस–पास ही आवास निर्माण हेतु कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो तो शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।
2. नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।
3. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निदेशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।
(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय सुवाणा)

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय

न्यायालय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		वर्तमान मे उपलब्ध भूमि	नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं		

01	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द	हॉ	हॉ	4.2 बीघा	N.A.
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां	हॉ	नहीं	3.44 बीघा	हॉ
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी	हॉ	हॉ	10 बीघा	N.A.

आवासीय भवन

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नही
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध
03	न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी	हॉ	नहीं(टाईप–3)	क्रमोन्नत के लिए उपलब्ध

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

उपरोक्त तीनों मुख्यालयों पर पर्याप्त स्थान वाले स्वयं के न्यायालय भवन उपलब्ध है। आसीन्द एवं कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय भवन नवनिर्मित्त है तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि सुविधाए सुनिश्चित किए जाने हेतु कार्यवाही तीनों मुख्यालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षित है।

बिजौलिया मुख्यालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, बिजौलिया ने बिजौलियां मुख्यालय पर निर्मित बार रूम के उपर एक ओर कक्ष बनवाने जाने के संबंध में अवगत करवाया गया जिसके संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलियां को संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल से समन्वय स्थापित कर उक्त के संबंध में कार्यवाही कर प्रस्ताव/रिपोर्ट इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – बिजौलियां मुख्यालय)**

कोटड़ी मुख्यालय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, कोटड़ी ने कोटड़ी मुख्यालय पर अधिवक्ताओं व पक्षकारान के बैठने के लिए भवन, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, पक्षकार गवाहों के लिए लिटिगेंट शेड और जन सुविधाओं की व्यवस्था बाबत अवगता करवाया गया जिसके संबंध में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटड़ी अधिवक्ताओं की संख्या के आधार पर चैम्बर की संख्या निर्धारित कर संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग सिविल से समन्वय स्थापित कर उक्त के संबंध में कार्य कर प्रस्ताव/ रिपोर्ट/विस्तृत अनुमानित तखमीना/ साईट प्लान आदि तैयार करवाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – कोटड़ी मुख्यालय)**

आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में तीनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पास आवास हेतु टाईप–3 के आवास उपलब्ध है जो माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक 916 दिनांक 22/11/2014 के अनुरूप वर्तमान में टाईप–3 मकान में रहने वाले अधिकारी के राजकीय आवास में अनुकूल स्थान पर एक कमरा तथा एक गैराज अतिरिक्त का निर्माण कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनवाया जाकर बजट मांग हेतु प्रस्ताव भिजवाया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द से टाईप 3 आवास को टाईप 2 में क्रमोन्नत करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, आसीन्द से तखमीना तैयार कराया जाकर प्रेषित किया गया हैं। जो बजट आवंटन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को जरिये पत्रांक 631, दिनांक 30.11.2021 को भिजवाया जा चुका हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

कोटड़ी मुख्यालय पर न्यायालय हेतु अतिरिक्त 10 बीघा भूमि का का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के माध्यम से जिला कलेक्टर को भिजवाया गया हैं, जो जिला कलेक्टर स्तर पर लंबित हैं।

<u>प्रस्ताव</u> :–

1. अतः नोडल अधिकारी बिजौलिया एवं कोटड़ी दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी के टाईप–3 के आवास को टाईप–2 में क्रमोन्नत करने के लिए सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव बनाकर आवश्यक बजट हेतु मांग प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजेगें ताकि माननीय उच्च न्यायालय से बजट की मांग की जा सके।

अतः नोडल ऑफिसर द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सम्बन्धित न्यायालय से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सम्पादित करेंगे जिससें आवश्यक बजट के लिए माननीय उच्च न्यायालय को लिखा जा सके।

2. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

3. पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

4. **न्यायालय भवन कोटड़ी के लिए अतिरिक्त 10 बीघा भूमि प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैं।**

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट – आसीन्द, बिजौलियां एवं कोटड़ी मुख्यालय)

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय</u>

<u>न्यायालय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	न्यायालय भवन		नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	11 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	

<u>आवासीय भवन</u>

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	आवासीय भवन		आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है या नहीं
		उपलब्ध है या नहीं	भवन पेटर्न के अनुसार है या नहीं	
01	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	हॉ	हॉ (टाईप–2)	N.A.
02	न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	नहीं	नहीं	नहीं

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय पर न्यायालय परिसर</u>

वर्तमान में माण्डलगढ़ मुख्यालय पर दो न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय संचालित है तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा भी केम्प आयोजित किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय एस.डी.एम. भवन की प्रथम मंजिल में एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उपलब्ध करवाए गए किसान भवन में संचालित किया जा रहा है, जो दोनों एक ही परिसर में है। उक्त दोनों न्यायालय के भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु वर्तमान में स्थित न्यायालयों से करीब 5 किमी. की दूरी पर **11 बीघा भूमि का आवंटन हो चुका है** किन्तु उपरोक्त तीनों न्यायालयो हेतु तथा भविष्य में न्यायालयों, अधिवक्तागण तथा पक्षकारानों की बढती सख्या को देखते हुए माण्डलगढ हेतु आवंटित भूमि अपर्याप्त है तथा आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं मजहर सुल्तान व अन्य बनाम यूपीएससी के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देर्शो व राजगढ बार एसोसियेशन बनाम राजस्थान सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 2428/2018 में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2019 के अनुरूप अधिवक्तागण के चैम्बर्स, कमरे रिक्रेशन रूम केंटीन, बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम, डिस्पेन्सरी, लिटिगेन्ट शेड, स्टाम्प वेंण्डर्स टाईपिस्ट, आदि के बैठने की व्यवस्था, लाईब्रेरी रूम, मेल व फिमेल लॉक अप रूम, क्रेच सुविधा, इलेक्ट्रिक रूम, पुलिस चौकी, पार्किंग, गवाहों के बैठने के लिए समुचित स्थान, उचित टायलेट्स, एडीआर सेन्टर, अभियोजन कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए भी **05 बीघा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता** हेतु इस न्यायालय को पूर्व में आवंटित भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि चिन्हित कर भूमि आवंटन कराये जाने के संबंध में ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ ने जरिये पत्र क्रमांक 141 दिनांक 05.04.2022 से पालना रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार अति0जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक 1368 दिनांक 25.01.2022 उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ को ग्राम भारजी का खेड़ा में पूर्व में आवंटित आराजी नंबर 240 रकबा 6.6935 है, वो भूमि के समीप 05–00 बीघा जो कि चारागह होकर वर्तमान में नगर पालिका माण्डलगढ़ के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ को जरिये पत्रांक 305 दिनांक 07.03.2022 द्वारा लिखा गया है। अतः कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ से अपेक्षित है।

<u>माण्डलगढ़ मुख्यालय पर आवासीय परिसर</u>

उक्त मुख्यालय पर वर्तमान में केवल टाईप–2 का आवासीय भवन उपलब्ध है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु कोई आवास वर्तमान में उपलब्ध नहीं है जिस हेतु ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें। न्यायालय हेतु पूर्व में **आवंटित 11 बीघा भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं है।**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22.08.2016 तथा लेखा/भवन/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।**

<u>प्रस्तावः–</u>

ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे आवंटितशुदा भूमि पर निर्माण प्रकिया आगे बढ़ाने तथा आवंटन आवंटित भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भूमि चिन्हित कर हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ से निरन्तर सम्पर्क कर कार्यवाही करें। **(कार्यवाही अपेक्षित– अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)**

अतः नोडल अधिकारी माण्डलगढ मुख्यालय पर पदस्थापित पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करे अथवा पूर्व में आवंटित 11 बीघा भूमि से लगती 05 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन की कार्यवाही करे जिसके आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ए.सी.जे.एम. माण्डलगढ स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के पत्रांक 482 दिनांक 04.04.2022 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उपखण्ड माण्डलगढ़ मुख्यालय पर कुल 14 राजकीय आवास उपलब्ध होकर एक न्यायिक अधिकारी को एवं एक न्यायिक कर्मचारी को आवंटित है।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़)

रायपुर मुख्यालय

रायपुर मुख्यालय पर न्यायालय परिसर

रायपुर मुख्यालय पर हाल ही में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय नवसृजित हुआ है। उक्त नवसृजित न्यायालय हेतु भवन बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को न्यायालय हेतु आवंटित गया गया है। आवंटित भवन में आवश्यक मरम्मत हेतु बजट मांग की गई है, जो हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा उक्त बजट अनुसार वांछित मरम्मत एवं निर्माण कार्य शीघ्र कराने बाबत संबधित पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिए गए है । **न्यायालय हेतु करीब 15 बीघा जमीन की आवश्यकता रहेगी** ।

इस बाबत आवंटन कार्यवाही हेतु अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर को निर्देशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर द्वारा स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क किया गया, जिस पर कोर्ट परिसर हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम जगपुरा पटवार क्षेत्र सगरेव के आराजी नम्बर 330 रकबा 2.41 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 653/333 रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि के लिए सरपंच ग्राम पंचायत थला (भीलखेड़ी), ग्राम पंचायत बागोलिया (सुरास) एवं सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव (जगपुरा) द्वारा भूमि आवंटन पर सहमति दी गई हैं।

अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, गंगापुर ने **अवगत कराया कि** रायपुर मुख्यालय पर वर्तमान में संचालित न्यायालय भवन में पूर्व में एक बड़ा हॉल न्यायालय संचालन हेतु दिया गया था। जिस पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा कुछ भाग पुनः लिया जाकर वहॉ पर ताला लगा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर/ गंगापुर उपखण्ड अधिकारी से पत्राचार/ समन्वय स्थापित कर उक्त हॉल न्यायालय परिसर हेतु आवंटन करने बाबत् कार्यवाही अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर/ गंगापुर, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर मुख्यालय)**

रायपुर मुख्यालय पर आवासीय परिसर

वर्तमान में रायपुर मुख्यालय पर नवसृजित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के निवास हेतु राजकीय आवास उपलब्ध नहीं है। **न्यायालय हेतु 15 बीघा जमीन में राजकीय आवास की पूर्ति हो सकती है पृथक से भूमि के आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी** ।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक 125 दिनांक 12.05.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्रांक Accts / Bldg/Shetty commission/2015/125/ दिनांक 22. 08.2016 तथा लेखा/भवनं/शेट्टी कमीशन/2015/125 दिनांक 12.05.2021 के अनुसार माननीय उच्चंतम न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) संख्या 1022/1989 All India Judges Association and ors vs. UOI and ors. में अंतरिम प्रार्थना पत्र 297/2012 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 के अनुसार शेट्टी कमीशन की सिफारिशों कें Chapter XVII-2.1 Housing Facility to the Court staff, 2.2 Basic Amenities in court building न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही की जानी है साथ ही **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया है।**

प्रस्ताव :–

1. ए.सी.जे.एम. रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारी के आवास हेतु 15 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटन बाबत् स्थानीय निकाय से सम्पर्क स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर, तहसीलदार /उपखण्ड मजिस्ट्रेट रायपुर)

अतः नोडल अधिकारी रायपुर मुख्यालय पर पदस्थापित पीठासीन अधिकारी स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें अथवा 15 बीघा भूमि आवंटन की कार्यवाही करें जिसके आवंटित होने पर न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु पृथक से भूमि आवंटन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ए.सी.जे.एम. रायपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर न्यायिक कर्मचारियों के लिए न्यायिक पूल के आवासो के निर्माण हेतु पृथक से भूमि आवंटित करने हेतु कार्यवाही करे।

ए.सी.जे.एम. रायपुर स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपलब्ध राजकीय आवासों में कम से कम 15 प्रतिशत राजकीय आवासों को न्यायिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने हेतु कार्यवाही करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा तथा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर)

भीलवाड़ा मुख्यालय पर पार्किंग व्यवस्था बाबत्

भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में चौपहियां एवं दुपहिया वाहनों हेतु जो चिन्हित स्थान है वो वह पर्याप्त नहीं है। निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि पार्किंग का विस्तार संभव नहीं है। इस बाबत् पूर्व में कई सार्थक प्रयास भी किए गए भविष्य में भूमि आवंटन के आधार पर ही पार्किंग व्यवस्था को सुचारू किया जा सकेगा।

अतः भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के न्यायिक मुख्यालयों की उक्तानुसार न्यायलय भवन, आधारभूत सुविधाएं एवं न्यायिक अधिकारीगण आवास की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार उल्लेखित प्रस्ताव का जरिये जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार, जिला न्यायालय सर्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कियान्वयन कराये जानें का निर्णय बैठक में लिया गया।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, भीलवाड़ा)

वर्तमान न्यायालय परिसर भीलवाड़ा में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में :–

वर्तमान भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 1500 है तथा प्रतिदिन उक्त न्यायालय परिसर में 1000 से 1200 पक्षकारान् व अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर में आते है, जिनके पेयजल के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल हेतु न्यायालय परिसर में एक बोरिंग कराया जाना तथा एक आर.ओ. प्लाण्ट लगाया जाना अपेक्षित है।

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारीयों की सुरक्षा बाबत्

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/1260/2021/1531 दिनांक 30.07.2021 द्वारा प्रकरण संख्या D.B. Civil Writ Petition No. 2428/2018 Bar Association Vs. State of Rajasthan and ors. में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना में भीलवाड़ा जिले के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा हेतु न्यायालय भवन में व उनके निवास स्थल पर सुरक्षा हेतु व्यवस्था किये जाने बाबत् जरिये पत्रांक 11736 दिनांक 31.07.2021 व 11935 दिनांक 04.08.2021 द्वारा पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को लिखा गया था तथा पत्रांक 5109–5110 दिनांक 19.05.2022 द्वारा भी जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा व पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को न्यायालय परिसर में व न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कॉलोनी में कैमरे एवं पुलिस चौकी/पुलिसकर्मी लगाये जाने बाबत् लिखा गया था। जिसके क्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के पत्रांक 23302 दिनांक 31.05.2022 द्वारा उक्त कार्य के संबंध में प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा को मनोनित किया गया एवं कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 7547–50 दिनांक 23.05.2022 द्वारा न्यायालय परिसर में व न्यायिक अधिकारियों की कोटा रोड स्थित आवासीय कॉलोनी में समुचित स्थानों पर कैमरे लगाये जाने व पुलिस चौकी/ पुलिसकर्मी को लगाए जाने संबंधी कार्य हेतु ज्येष्ठा मैत्रेयीं (आईपीएस) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) भीलवाड़ा को प्रतिनिधि अधिकारी नियुक्त किया गया। इसी क्रम में दिनांक 10.06.2022 को नोडल अधिकारी (भवन) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के अवकाशागार में आहूत की गई मीटिंग में जिला न्यायालय परिसर व मजिस्ट्रेट कॉलोनी, सुवाणा रोड़, भीलवाड़ा में सीसीटीवी कैमरे, पुलिस चौकी/ पुलिसकर्मी लगाये जाने बाबत् निर्णय लिये गये व समय–समय पर संबंधित अधिकारीगण से पत्राचार भी किया गया। जिसके संबंध में सीसीटीवी कैमरे की कार्यवाही जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा/ जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा के स्तर पर अपेक्षित है। भीलवाड़ा मुख्यालय पर स्थित न्यायालय परिसर व मजिस्ट्रेट कॉलोनी, सुवाणा रोड़, भीलवाड़ा में सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाये जाने बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को एस्टीमेट भिजवाये जा चुके है तथा बजट आवंटन के अभाव में कार्यवाही लंबित है।

(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा/ जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा)

वर्तमान न्यायालय परिसर भीलवाड़ा में आवश्यक मरम्मत व देखरेख के कार्य के संबंध में :–

भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में स्थित समस्त न्यायालयों, कार्यालय, कॉरिडोर, बंदीगृह, गार्डकक्ष आदि में मरम्मत व रंग–रोगन करवाया जाना आवश्यक है। इसमें विशेषकर महिला प्रसाधन,

सामान्य प्रसाधन सुविधा हेतु अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करवाया जाना है। न्यायालय परिसर में नियमित साफ–सफाई के कार्य की भी आवश्यकता है। भीलवाडा न्यायक्षेत्र में न्यायालय परिसर व आवासीय परिसर की मरम्मत हेतु बजट आवंटित है लेकिन मरम्मत कार्य धीमी गति से किया जा रहा है तथा न्यायालयों के मरम्मत तथा विद्युत कार्य हेतु बजट आवंटित किया गया है जिस बाबत् कार्यवाही नहीं की जा रही हैं। निर्धारित समयावधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। न्यायालय तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासों के कार्य हेतु बजट आवंटित किये गये है जिसके उपयोग हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं।

<u>प्रस्ताव</u> :–

1. वर्तमान भीलवाड़ा मुख्यालय न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 1500 है तथा प्रतिदिन उक्त न्यायालय परिसर में 1000 से 1200 पक्षकारान् व अन्य व्यक्ति न्यायालय परिसर में आते है, जिनके पेयजल के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेयजल हेतु न्यायालय परिसर में एक बोरिंग कराया जाना तथा एक आर.ओ. प्लाण्ट लगाया जाना अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– जिला कलेक्टर)**

2. भीलवाड़ा मुख्यालय पर न्यायालय में सफाई हेतु समुचित सफाईकर्मी नहीं है। इस बाबत् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा को न्यायालय परिसर में उचित साफ–सफाई बाबत् सफाई कर्मचारीयों की संख्या बढाये जाने बाबत् निर्देश प्रदान करवावे। अतः इस संबंध में कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा से अपेक्षित है। **(कार्यवाही अपेक्षित– आयुक्त नगर परिषद, भीलवाड़ा)**

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों तथा राजकीय आवास की मरम्मत हेतु आवंटित बजट का उपयोग निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता पूर्वक कार्य करे व मरम्मत कार्यो के कार्यादेश **G-Schedule** नोडल अधिकारी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा) को प्रेषित करे।

(कार्यवाही अपेक्षित– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–नोडल अधिकारी भीलवाड़ा, अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., भीलवाड़ा, आयुक्त नगर परिषद भीलवाडा)

<u>पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण नहीं होने के कारण और उनके त्वरित निस्तारण के उपाय :–</u>

भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में दिनांक 31.05.2023 को 18339 पांच वर्ष पुराने प्रकरण और 1772 दस वर्ष पुराने प्रकरण लम्बित है। पुराने प्रकरणों के त्वरित गति से निस्तारण नहीं हो पाने के कई कारण सामने आये है जैसे–पुलिस द्वारा साक्षीगण की तामील समय पर नहीं कराना, तामिल के पश्चात् सम्मन/वारंट नहीं लौटाना, अभियुक्तगण के गिरफ्तारी वारंट की पालना नहीं कराना, अभिभाषकगण द्वारा अनावश्यक स्थगन लेना, पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना किसी न्यायोचित कारण के अनावश्यक स्थगन देना, प्रकरणों की पत्रावलियों में प्रभावी आदेशिकाएं नहीं लिखना, पुराने प्रकरणों में लम्बी तारीख पेशी देना, प्रकरण जिस स्तर पर नियत है उस स्तर पर त्वरित कार्यवाही करना जैसे त्वरित गति से विवाद्यक विरचित नहीं करना व आरोप विरचित नहीं करना आदि विभिन्न कारणों से पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की स्थिति सामने आई है।

अतः इस संबंध में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों को यह निर्देशित किया जावे कि ऐसे पांच वर्ष व दस वर्ष पुराने प्रकरणों में प्रभावी आदेशिकाएं लिखे। प्रकरण में अनावश्यक स्थगन नहीं दे, लम्बी तारीख पेशी नहीं दे तथा प्रकरण का त्वरित गति से निस्तारण का प्रयास करें। पुलिस अधीक्षक की ओर से यह आश्वस्त किया गया कि साक्षीगण व अभियुक्तगण की तामिल के संबंध में वे संबंधित थानाधिकरियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

<u>असत्य, बिना किसी आधार के और विधिक प्रावधानों के विरूद्ध प्रकरण संस्थित होने के संबंध में :–</u>

समिति के ध्यान में यह लाया गया है कि कई बार ऐसे प्रकरण संस्थित होते है जो कि विधि के अनुकूल नहीं होते है, असत्य होते है तथा दुर्भावना से प्रेरित होते है। जिसके कारण से पक्षकार की न्याय व्यवस्था के संबंध में प्रतिकूल धारणा धारण की जाती हैं। ऐसे प्रकरणों के लंबित रहने को रोका जाना आावश्यक है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाना आावश्यक है कि ऐसे प्रकरण जो असत्य, विधि प्रावधानों के विरूद्ध बिना किसी आधार के हो, उनको रोकने का प्रयास करें तथा विधि में वर्णित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही करें। जिससे ऐसे प्रकरण संस्थित नहीं हो तथा पक्षकारों में न्याय के प्रति विश्वास बना रहे ।

<u>कॉस केस के संबंध में :–</u>

समिति के द्वारा चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि फौजदारी प्रकरणों में कई बार दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए कॉस केस दर्ज किया जाता है और इस संबंध में बचाव किया जाता है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वास्तविक प्रकरणों को ही न्यायालय द्वारा विचार किया जावे, क्योंकि ऐसे प्रकरणों के संस्थित होने से ना केवल प्रकरणों के लम्बित होने की संख्या में वृद्धि होती है वरन् जिस व्यक्ति के विरूद्ध झूठा कोस केस दर्ज होता है, उसको भी अनावश्यक परेशानी होती है ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि वे जिले के थानाधिकारियो/अनुसंधान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित करेंगे कि कॉस–केस के प्रकरणों में निष्पक्ष व सही रूप से अनुसंधान कर नतीजा प्रस्तुत करें।

न्यायालय प्रबंधन और प्रकरण प्रबंधन :–

समिति द्वारा सम्पूर्ण चर्चा के पश्चात् यह पाया गया कि न्यायालय की दैनिक वाद सूची में उतने ही प्रकरणों को लगाया जावें जितने केस में प्रभावी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी कर सकें और व्यवस्थित रूप से न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चल सके और पक्षकार को लाभ मिल सकें। सुविधा की दृष्टि से न्यायालय के प्रारम्भ कालीन समय में आरोप विरचित करना, विवाद्यक विरचित करना, प्रकरणों में आदेश पारित करना, साक्षीबद्ध के बयान लेखबद्ध किया जाना, सम्मन/वारंट की तामील के संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जा सकता है। तत्पश्चात् ऐसे प्रकरणों को रखा जा सकता है, जिनमें बहस होनी हो और जिन प्रकरणों में ज्यादा समय लगने की संभावना हो। पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है साथ ही सीआईएएस का इन्द्राज भी सही तरीके से किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में समस्त न्यायिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलाया जाना आवश्यक है।

अनावश्यक स्थगन, अनावश्यक लम्बी प्रतीपरीक्षा, अनावश्यक लम्बी मौखिक बहस के संबंध में :–

विचार–विमर्श के दौरान समिति के ध्यान में यह लाया गया कि कई बार अनावश्यक व लम्बी प्रतिपरीक्षा साक्षीगण से की जाती है। जिसके कारण न केवल न्यायालय का बहुमूल्य समय खराब होता है वरन् साक्षी व पक्षकार का न्यायालय के प्रति विश्वास भी कम होता है और अनावश्यक साक्षी/पीड़ित पक्ष को परेशानी होती है और जो पक्षकारण प्रकरण में विलम्ब करना चाहता है उसके द्वारा कई कारणों से अनावश्यक स्थगन लिये जाते है या अनावश्यक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाते है। ऐसे प्रार्थनापत्रो का शीघ्र निस्तारण होना आवश्यक है जिससे नियमित प्रकरणों में व पुराने प्रकरणों में कार्यवाही की जा सके और उनका त्वरित निस्तारण हो सके और पुराने प्रकरणों को नजदीक तारीख पेशी दिया जाना भी आवश्यक है तथा अनावश्यक लम्बी बहस को रोका जाना आवश्यक है जिससे न्यायालय के बहुमूल्य समय न्यायालय प्रयोग में अधिकाधिक आ सके ।

त्वरित गति से प्रकरणों के निस्तारण के लिये प्ली–बार्गेनिंग, राजीनामा, मध्यस्थता के संबंध में भी पीठासीन अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है तथा परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के दुरूपयोग को रोकना और इसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में भी पीठासीन अधिकारियो को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय में फर्नीचर व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में :–

न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से चलाने, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारीगण को उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में समिति की राय में पीठासीन अधिकारियों को लिखा जाना आवश्यक है कि उनके न्यायालय में प्राथमिकता के अनुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन और कूलर व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में आवश्यकतायें भिजवायें जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

भीलवाड़ा व मुख्यालय से बाहर स्थित न्यायिक मुख्यालय की उक्तानुसार न्यायालय भवन, आधारभूत सुविधाएं यथा पेयजल, प्रसाधन, साफ–सफाई, आवश्यक मरम्मत एवं देखरेख हेतु प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार व जिला प्रशासन को प्रेषित किये जाने का बैठक में निर्णय लिया गया तथा इस संबंध में पालना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाडा द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक को सधन्यवाद सम्पन्न किया गया।

आशीष मोदी
जिला कलेक्टर,
भीलवाड़ा

अजय शर्मा
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

(प्रतिनिधि)
आदर्श सिधु
जिला पुलिस अधीक्षक,
भीलवाड़ा

6/7/23
सुषमा शर्मा
नोडल अधिकारी (भवन)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

परिशिष्ठ – 01

बिन्दु संख्या – 02

न्यायालय से कितने स्थायी गिरफतारी अधिपत्र जारी हुए है और कितने मामलों में स्थायी गिरफतारी अधिपत्र के कमांक सम्बंधित पुलिस थाने से प्राप्त नहीं हुए है का संकलित विवरण

क.सं.	न्यायालय का नाम	न्यायालय द्वारा जारी शुदा स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट (अधिपत्र) की कुल संख्या	विवरण
1	DJ Bhilwara	4	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
2	ACD Bhilwara	0	0
3	Family-01, Bhilwara	9	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
4	Family-02, Bhilwara	0	0
5	LABOUR Bhilwara	0	0
6	NDPS Bhilwara	26	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
7	MACT-1 Bhilwara	0	0
8	MACT-2 Bhilwara	0	0
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	2	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	7	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
11	Commercial Court	0	0
12	ADJ-1 Bhilwara	77	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
13	ADJ-2 Bhilwara	0	0
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	53	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	0	0
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	30	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
17	ADJ Gulabpura	20	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
18	ADJ Gangapur	1	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
19	ADJ Shahpura	0	निल
20	CJM Bhilwara	131	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
21	ACJM 1 Bhilwara	910	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
22	ACJM 2 Bhilwara	354	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
23	ACJM Shahpura	104	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
24	ACJM Mandalgarh	192	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
25	ACJM Gangapur	94	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
26	ACJM Gulabpura	210	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
27	ACJM Raipur	49	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
28	ACJM Mandal	63	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
29	ACJM Jahazpur	29	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
30	J.BORD Bhilwara	39	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
31	JM (East) Bhilwara	893	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
32	JM (West) Bhilwara	921	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
33	JM 1 Bhilwara	146	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
34	JM 2 Bhilwara	714	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
35	JM 3 Bhilwara	544	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
36	JM Mandal	36	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
37	JM Jahazpur	62	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
38	JM Bijoliyan	92	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
39	JM Kotri	64	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
40	JM Asind	104	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
41	JM Shahpura	11	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
42	JM Mandalgarh	47	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
43	JM Gangapur	9	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	1735	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	295	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	143	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	100	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
48	Gram Nyayalay Mandal	56	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
49	Gram Nyayalay Suwana	89	स्थायी गिरफ्तारी वारंट (अधिपत्र) के विवरण की सूची परिशिष्ठ–1 सलंग्न हैं।
	TOTAL	8465	

बिन्दु संख्या – 4

आयुध अधिनियम की धारा–39 के तहत जिला कलेक्टर द्वारा या अन्य प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी होती है या नहीं? ऐसे प्रकरणों की सूची जिनमें अभियोजन स्वीकृति परिसीमा अवधि में प्रेषित नहीं की गई –

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या	अनवान प्रकरण	एफ.आई.आर संख्या व सन्	पुलिस थाने का नाम	अपराध धारा	संख्या
1	DJ Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नही है।					0
2	ACD Bhilwara	निल					0
3	Family-01, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नही है।					0
4	Family-02, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नही है।					0
5	LABOUR Bhilwara	निल					0
6	NDPS Bhilwara	निल					0
7	MACT-1 Bhilwara	निल					0
8	MACT-2 Bhilwara	निल					0
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नही है।					0
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नही है।					0
11	Commercial Court	निल					0
12	ADJ-1 Bhilwara	आयुध अधिनियम की धारा से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय हाजा में लम्बित नही है।					0
13	ADJ-2 Bhilwara	निल					0
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	इस न्यायालय मे समस्त प्रकरण अन्तरित होकर प्राप्त होते हे।					0
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	न्यायालय हाजा से सम्बन्धित नही है।					0
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	निल					0
17	ADJ Gulabpura	निल					0
18	ADJ Gangapur	निल					0
19	ADJ Shahpura	निल					0
20	CJM Bhilwara	निल					0
21	ACJM 1 Bhilwara	निल					0
22	ACJM 2 Bhilwara	निल					0
23	ACJM Shahpura	निल					0
24	ACJM Mandalgarh	निल					0
25	ACJM Gangapur	निल					0
26	ACJM Gulabpura	निल					0
27	ACJM Raipur	निल					0
28	ACJM Mandal	निल					0
29	ACJM Jahazpur	निल					0
30	J.BORD Bhilwara	निल					0
31	JM (East) Bhilwara	निल					0
32	JM (West) Bhilwara	निल					0
33	JM 1 Bhilwara	निल					0
34	JM 2 Bhilwara	निल					0
35	JM 3 Bhilwara	निल					0
36	JM Mandal	निल					0
37	JM Jahazpur	निल					0
38	JM Bijoliyan	निल					0
39	JM Kotri	निल					0
40	JM Asind	निल					0
41	JM Shahpura	निल					0
42	JM Mandalgarh	निल					0
43	JM Gangapur	निल					0
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	निल					0
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	निल					0
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	निल					0
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	निल					0
48	Gram Nyayalay Mandal	निल					0
49	Gram Nyayalay Suwana	निल					0

बिन्दु संख्या – 6

दिनांक 31.03.2023 तक न्यायालय में लम्बित अन्तिम प्रतिवेदनों की संख्या

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	संख्या
1	DJ Bhilwara	0
2	ACD Bhilwara	1
3	Family-01, Bhilwara	0
4	Family-02, Bhilwara	0
5	LABOUR Bhilwara	0
6	NDPS Bhilwara	0
7	MACT-1 Bhilwara	0
8	MACT-2 Bhilwara	0
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	4
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	6
11	Commercial Court	0
12	ADJ-1 Bhilwara	4
13	ADJ-2 Bhilwara	0
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	0
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	0
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	284
17	ADJ Gulabpura	0
18	ADJ Gangapur	0
19	ADJ Shahpura	0
20	CJM Bhilwara	816
21	ACJM 1 Bhilwara	494
22	ACJM 2 Bhilwara	140
23	ACJM Shahpura	130
24	ACJM Mandalgarh	166
25	ACJM Gangapur	249
26	ACJM Gulabpura	445
27	ACJM Raipur	99
28	ACJM Mandal	239
29	ACJM Jahazpur	305
30	J.BORD Bhilwara	1
31	JM (East) Bhilwara	75
32	JM (West) Bhilwara	254
33	JM 1 Bhilwara	153
34	JM 2 Bhilwara	22
35	JM 3 Bhilwara	119
36	JM Mandal	196
37	JM Jahazpur	180
38	JM Bijoliyan	25
39	JM Kotri	136
40	JM Asind	213
41	JM Shahpura	83
42	JM Mandalgarh	73
43	JM Gangapur	30
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	0
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	0
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	0
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	0
48	Gram Nyayalay Mandal	25
49	Gram Nyayalay Suwana	9
	योग :–	**4976**

परिशिष्ठ – 03

बिन्दु संख्या–07

न्यायालय में लम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट जिनमें नतीजे पेश नही हुए है, के संबंध में निम्न प्रारूप में विवरण–

क.सं.	न्यायालय का नाम	एफआईआर नम्बर व दर्ज होने की दिनांक	अपराध धारा	पुलिस थाने का नाम	संख्या
1	DJ Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
2	ACD Cases	सूची संलग्न हैं।			103
3	Family-01, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
4	Family-02, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
5	LABOUR Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
6	NDPS Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			69
7	MACT-1 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
8	MACT-2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			25
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			95
11	Commercial Court	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
12	ADJ-1 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			947
13	ADJ-2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	इस न्यायालय में लागू नहीं होते है।			0
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	न्यायालय हाजा से सम्बन्धित नही है पत्रावलियां कमिट होकर			0
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			446
17	ADJ Gulabpura	सूची संलग्न हैं।			35
18	ADJ Gangapur	सूची संलग्न हैं।			1
19	ADJ Shahpura	सूची संलग्न हैं।			21
20	CJM Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			660
21	ACJM 1 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			304
22	ACJM 2 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			402
23	ACJM Shahpura	सूची संलग्न हैं।			235
24	ACJM Mandalgarh	सूची संलग्न हैं।			252
25	ACJM Gangapur	सूची संलग्न हैं।			95
26	ACJM Gulabpura	सूची संलग्न हैं।			112
27	ACJM Raipur	सूची संलग्न हैं।			76
28	ACJM Mandal	सूची संलग्न हैं।			168
29	ACJM Jahazpur	सूची संलग्न हैं।			113
30	J.BORD Bhilwara	निल			0
31	JM (East) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			218
32	JM (West) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			1371
33	JM 1 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			138
34	JM 2 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			85
35	JM 3 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।			204
36	JM Mandal	सूची संलग्न हैं।			94
37	JM Jahazpur	सूची संलग्न हैं।			169
38	JM Bijoliyan	सूची संलग्न हैं।			338
39	JM Kotri	सूची संलग्न हैं।			429
40	JM Asind	सूची संलग्न हैं।			176
41	JM Shahpura	सूची संलग्न हैं।			43
42	JM Mandalgarh	सूची संलग्न हैं।			223
43	JM Gangapur	सूची संलग्न हैं।			47
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं है।			0
48	Gram Nyayalay Mandal	सूची संलग्न हैं।			78
49	Gram Nyayalay Suwana	सूची संलग्न हैं।			58
	योग				**7830**

बिन्दु संख्या – 09

धारा–173(8) दण्ड प्रकिया संहिता के संबंध में जिन मामलों में अनुसंधान लंबित है

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या	अनवान प्रकरण	प्रथम सूचना सख्या	पुलिस थाने का नाम	आरोप पत्र पेश होने की दिनांक	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का विवरण जिनके विरूद्ध अनुंसधान लम्बित रखा गया	अन्य विवरण	संख्या
1	DJ Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							
2	ACD Bhilwara	निल							0
3	Family-01, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
4	Family-02, Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
5	LABOUR Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
6	NDPS Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							37
7	MACT-1 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
8	MACT-2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							1
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							3
11	Commercial Court	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
12	ADJ-1 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							1
13	ADJ-2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	सूची सलंग्न है।							2
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							1
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	निल							0
17	ADJ Gulabpura	सूची संलग्न हैं।							17
18	ADJ Gangapur	सूची संलग्न हैं।							1
19	ADJ Shahpura	सूची संलग्न हैं।							4
20	CJM Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							30
21	ACJM 1 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							20
22	ACJM 2 Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							1
23	ACJM Shahpura	निल							0
24	ACJM Mandalgarh	सूची संलग्न हैं।							2
25	ACJM Gangapur	निल							0
26	ACJM Gulabpura	सूची संलग्न हैं।							1
27	ACJM Raipur	सूची संलग्न हैं।							1
28	ACJM Mandal	निल							0
29	ACJM Jahazpur	निल							0
30	J.BORD Bhilwara	निल							0
31	JM (East) Bhilwara	निल							0
32	JM (West) Bhilwara	सूची संलग्न हैं।							3
33	JM 1 Bhilwara	निल							0
34	JM 2 Bhilwara	निल							0
35	JM 3 Bhilwara	निल							0
36	JM Mandal	निल							0
37	JM Jahazpur	निल							0
38	JM Bijoliyan	सूची संलग्न हैं।							7
39	JM Kotri	सूची संलग्न हैं।							5
40	JM Asind	निल							0
41	JM Shahpura	सूची संलग्न हैं।							1
42	JM Mandalgarh	सूची संलग्न हैं।							1
43	JM Gangapur	निल							0
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।							0
48	Gram Nyayalay Mandal	निल							0
49	Gram Nyayalay Suwana	निल							0
योग									112

परिशिष्ट संख्या–05

बिन्दु संख्या – 12

धारा 202 द.प्र.सं. की जॉच के संबंध में ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत जॉच के लिए प्रकरण पुलिस को भेजा गया व पुलिस के द्वारा निर्धारित समय में जॉच करके पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नही की, से संबंधित प्रकरणों की संकलित सूची :–

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरणों की संख्या जिनमें न्यायालय द्वारा धारा 202 द.प्र.सं. के अंतर्गत जॉच के लिए प्रकरण पुलिस को भेजा गया व पुलिस के द्वारा निर्धारित समय में जॉच करके पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नही की	विवरण
1	DJ Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
2	ACD Bhilwara	0	निल
3	Family-01, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
4	Family-02, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
5	LABOUR Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
6	NDPS Bhilwara	0	निल
7	MACT-1 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
8	MACT-2 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	0	निल
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	0	निल
11	Commercial Court Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
12	ADJ-1 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
13	ADJ-2 Bhilwara	0	निल
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	0	इस न्यायालय में लागू नहीं होते है।
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	189	सूची संलग्न है।
17	ADJ Gulabpura	0	निल
18	ADJ Gangapur	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।
19	ADJ Shahpura	0	निल
20	CJM Bhilwara	27	सूची संलग्न है।
21	ACJM 1 Bhilwara	39	सूची संलग्न है
22	ACJM 2 Bhilwara	0	निल
23	ACJM Shahpura	0	निल
24	ACJM Mandalgarh	0	निल
25	ACJM Gangapur	0	निल
26	ACJM Gulabpura	6	सूची संलग्न है।
27	ACJM Raipur	0	निल
28	ACJM Mandal	0	निल
29	ACJM Jahazpur	0	निल
30	J.BORD Bhilwara	0	निल
31	JM (East) Bhilwara	0	निल
32	JM (West) Bhilwara	1	सूची संलग्न है।
33	JM 1 Bhilwara	1	सूची संलग्न है।
34	JM 2 Bhilwara	0	निल
35	JM 3 Bhilwara	0	निल
36	JM Mandal	0	निल
37	JM Jahazpur	0	निल
38	JM Bijoliyan	0	निल
39	JM Kotri	0	निल
40	JM Asind	0	निल
41	JM Shahpura	0	निल
42	JM Mandalgarh	0	निल
43	JM Gangapur	0	निल
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	0	न्यायालय हाजा से संबंधित नही है।
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	0	न्यायालय हाजा से संबंधित नही है।
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	0	न्यायालय हाजा से संबंधित नही है।
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	0	न्यायालय हाजा से संबंधित नही है।
48	Gram Nyayalay Mandal	0	निल
49	Gram Nyayalay Suwana	0	निल
	Total	**263**	

परिशिष्ट संख्या–06

बिन्दु संख्या – 16

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समस्या व सुझाव, ऐसे प्रकरणों की संकलित सूची जिनमें अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है :–

क.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरणों की सूची जिनमें अभी तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट प्राप्त नही हुई ह	विवरण
1	DJ Bhilwara	13	सूची संलग्न हैं।
2	ACD Bhilwara	0	निल
3	Family-01, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नही है।
4	Family-02, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नही है।
5	LABOUR Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नही है।
6	NDPS Bhilwara	69	सूची संलग्न हैं।
7	MACT-1 Bhilwara	0	निल
8	MACT-2 Bhilwara	0	निल
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	52	सूची संलग्न हैं।
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	42	सूची संलग्न हैं।
11	Commercial Court Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नही है।
12	ADJ-1 Bhilwara	1	सूची संलग्न हैं।
13	ADJ-2 Bhilwara	0	निल
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	0	निल
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	283	सूची संलग्न हैं।
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	0	निल
17	ADJ Gulabpura	0	निल
18	ADJ Gangapur	2	सूची संलग्न हैं।
19	ADJ Shahpura	0	निल
20	CJM Bhilwara	0	निल
21	ACJM 1 Bhilwara	3	सूची संलग्न हैं।
22	ACJM 2 Bhilwara	0	निल
23	ACJM Shahpura	0	निल
24	ACJM Mandalgarh	0	निल
25	ACJM Gangapur	0	निल
26	ACJM Gulabpura	0	निल
27	ACJM Raipur	0	निल
28	ACJM Mandal	0	निल
29	ACJM Jahazpur	0	निल
30	J.BORD Bhilwara	0	निल
31	JM (East) Bhilwara	0	निल
32	JM (West) Bhilwara	0	निल
33	JM 1 Bhilwara	0	निल
34	JM 2 Bhilwara	0	निल
35	JM 3 Bhilwara	0	निल
36	JM Mandal	0	निल
37	JM Jahazpur	0	निल
38	JM Bijoliyan	0	निल
39	JM Kotri	0	निल
40	JM Asind	0	निल
41	JM Shahpura	0	निल
42	JM Mandalgarh	0	निल
43	JM Gangapur	0	निल
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	0	निल
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	0	निल
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	0	निल
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	0	निल
48	Gram Nyayalay Mandal	0	निल
49	Gram Nyayalay Suwana	0	निल
	Total	**465**	

परिशिष्ठ – 7

बिन्दु संख्या – 17

17– वन अधिनियम, आयुध अधिनियम व अन्य अधिनियमों के अपराधके संबंध में ऐसे प्रकरणों के विवरण जिनमें आरोप पत्र पेश होने की परिसीमा अवधि निकल चुकी हो और उनमे आरोप पत्र पेश नहीं हुए हो –

क.सं.	न्यायालय का नाम	संख्या	प्रथम सूचना संख्या के दर्ज होने के क्रमांक व दिनांक	अपराध धारा	थाने का नाम	अन्य विवरण
1	DJ Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
2	ACD Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
3	Family-01, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
4	Family-02, Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
5	LABOUR Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
6	NDPS Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
7	MACT-1 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
8	MACT-2 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
9	Sp.Judge (Pocso-1) Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
10	Sp.Judge (Pocso-2) Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
11	Commercial Court Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
12	ADJ-1 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
13	ADJ-2 Bhilwara	0	वन अधिनिमय, आयुध अधिनियम के प्रकरण लम्बित नही है मात्र विद्युत अधिनियम के मामले लम्बित है जिनमें आरोप पत्र समय पर पेश हो जाते है।			
14	ADJ-3 Bhilwara + Camp Mgh	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
15	ADJ-(W.A.) Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
16	Sp.Court SC/ST Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
17	ADJ Gulabpura	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
18	ADJ Gangapur	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
19	ADJ Shahpura	13	निल			
20	CJM Bhilwara	0	सूची संलग्न है।			
21	ACJM 1 Bhilwara	0	निल			
22	ACJM 2 Bhilwara	0	निल			
23	ACJM Shahpura	0	निल			
24	ACJM Mandalgarh	0	निल			
25	ACJM Gangapur	0	निल			
26	ACJM Gulabpura	0	निल			
27	ACJM Raipur	0	निल			
28	ACJM Mandal	0	निल			
29	ACJM Jahazpur	0	निल			
30	J.BORD Bhilwara	0	निल			
31	JM (East) Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
32	JM (West) Bhilwara	71	निल			
33	JM 1 Bhilwara	0	सूची संलग्न है।			
34	JM 2 Bhilwara	0	निल			
35	JM 3 Bhilwara	0	निल			
36	JM Mandal	0	निल			
37	JM Jahazpur	0	निल			
38	JM Bijoliyan	17	निल			
39	JM Kotri	0	सूची संलग्न है।			
40	JM Asind	0	निल			
41	JM Shahpura	0	निल			
42	JM Mandalgarh	1	निल			
43	JM Gangapur	0	सूची संलग्न है।			
44	Sp.Court NI Act 1 Bhilwara	0	निल			
45	Sp.Court NI Act 2 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
46	Sp.Court NI Act 3 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
47	Sp.Court NI Act 4 Bhilwara	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
48	Gram Nyayalay Mandal	0	इस न्यायालय से संबंधित नहीं हैं।			
49	Gram Nyayalay Suwana	0	निल			
योग		102	निल			